सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

25 मार्च, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

सप्तदश विधान सभा　　　　　　　　　　मंगलवार, तिथि　25 मार्च, 2025 ई0
चतुर्दश सत्र　　　　　　　　　　　　　　　04 चैत्र, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय–11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(व्यवधान)

आप भी जानते हैं कब उठाया जाता है । आप भी जानते हैं, मैं पढ़ा भी देता हूं । माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये, लिया जायेगा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–''क''–7 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, खजौली)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहता हूं कि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । कृपया उत्तर पढ़ दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, समय पर उठाइयेगा । समय पर उठाइयेगा, बैठ जाइये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, 1– वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में 1,76,94,553 बच्चे नामांकित हैं । इनमें से 1,55,64,748 बच्चों को आधार उपलब्ध कराया जा चुका है अर्थात कुल नामांकित छात्रों में से 88 प्रतिशत को आधार से आच्छादित कर दिया गया है ।

बिना आधार से जुड़े नामांकित बच्चों की संख्या 21,29,805 (इक्कीस लाख उनतीस हजार आठ सौ पांच) है । विभाग द्वारा इन बच्चों का त्वरित गति से आधार आच्छादन हेतु राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्रति प्रखंड 02 आधार मशीन अधिष्ठापित किया गया है । इस तरीके से हमलोग जो भी योजनाएं हैं उसका फायदा दे रहे हैं और शेष जो बचे हुए हैं अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसका आंकड़ा भी विभिन्न योजनाओं का मैं दे दूंगा ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 12 प्रतिशत छात्र अभी भी वंचित हैं आधार कार्ड से, तो इन बच्चों को जिनकी संख्या 21 लाख से अधिक है, माननीय मंत्री जी इन बच्चों का कबतक आधार कार्ड बनवाकर और जो लाभ से वंचित हैं उस लाभ का उनको लाभुक बना पायेंगे ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, दो समस्याएं थी । कहीं–कहीं आधार सीडिंग की और दूसरी सी0एफ0एम0एस0 प्रणाली में, तो दोनों जगह सुधार हो गया है । हम समझते हैं कि सदन समाप्त होने के एक महीने के अंदर यह कार्य, एक महीने से भी कम समय में यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा । हमलोग लगे हुए हैं, सौ प्रतिशत हो जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गया ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी क्या तकनीक अपनायेंगे ? इतने दिनों..

अध्यक्ष : उन्होंने तो बताया कि हर प्रखंड में दो–दो मशीन उन्होंने लगाया है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, ये अधिकांश गरीब के बच्चे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उन्होंने तो बताया ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, कैसे कर देंगे ? क्या मैकेनिजम होगा ? जरा सदन जानना चाहता है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, हमने बताया कि बीच में सी0एफ0एम0एस0 के कारण पेमेंट सिस्टम का अपग्रेडेशन हो रहा था इस वजह से पेमेंट में दिक्कतें आ रही थी लेकिन उसमें भी सुधार हो गया है और आधार सीडिंग की मशीन की जांच कंप्लीट हमलोगों ने कर दी है इसलिए एक महीने के अंदर निश्चित रूप से, मैं व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर कर रहा हूं और अबतक कितने भेजे गये हैं उसका भी मैं आंकड़ा अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो दे दूंगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–16 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, आरा)

(लिखित उत्तर)

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से लाभुकों का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA ID) बनाने का प्रावधान फरवरी, 2024 से किया गया था, जिसमें लाभुक का स्वयं का आधार कार्ड होना आवश्यक था ।

ABHA ID बच्चे का स्वयं का आधार होने पर ही बनता है एवं राज्य में 6 वर्ष से छोटे बच्चों का आधार निर्माण का प्रतिशत बहुत कम होने के कारण बच्चों का ABHA ID कम बना है ।

अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र के लगभग 3.42 लाख लाभुकों का ABHA ID बना है, जिसमें 0–6 वर्ष के कुल 94690 बच्चे हैं ।

बच्चों का ABHA ID बनाने से संबंधित बाधा को दूर करने हेतु भारत सरकार द्वारा माह फरवरी, 2025 से पोषण ट्रैकर में बच्चों के माता/पिता के आधार नम्बर पर ABHA ID बनाने का प्रावधान किया गया है ।

इस संदर्भ में राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों यथा जिला समन्वयक/प्रखंड समन्वयक/चयनित महिला पर्यवेक्षिका को प्रशिक्षित करते हुये उक्त प्रशिक्षकों के द्वारा ABHA ID बनाने संबंधी प्रशिक्षण सभी सेविकाओं को दिया गया है ।

अध्यक्ष : अमरेन्द्र बाबू, पूरक पूछिए । उत्तर आपका छपा हुआ है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, पूरक ही पूछेंगे । महोदय, इस प्रश्न को करने का उद्देश्य यही है कि 6 वर्ष के नीचे के बच्चों का जिनमें से 70 प्रतिशत लगभग गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं और ये आभा स्वास्थ्य आई0डी0 कार्ड बनाने का प्रोजेक्ट भारत सरकार की है । महोदय, उत्तर में यह बात आयी है कि 6 वर्ष के नीचे के बच्चों का आधार कार्ड नहीं होने के कारण इस योजना को सही ढंग से लागू नहीं कराया जा सका है, तो फिर भारत सरकार ने संशोधन भी कर दिया और यह संशोधन हाल में हुआ है कि माता–पिता के ही आधार कार्ड पर उनका स्वास्थ्य आई0डी0 बन जायेगा ।

महोदय, इसमें मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं, मेरा पूरक प्रश्न यही है कि इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह योजना दीर्घकालिक स्वास्थ्य की दृष्टि से 6 वर्ष के नीचे के बच्चों का और यह समझ भी नहीं है उस समाज को जिस समाज के बच्चे हैं वह भी रूचि नहीं ले रहे हैं, तो क्या उन्हें प्रशिक्षित करने, उनके अंदर जानकारी, जागृति पैदा करके और सरकार अधिक से अधिक संख्या में उन गरीब बच्चों का स्वास्थ्य आई0डी0 बनाने का विचार रखती है ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, जो माननीय वरीष्ठ सदस्य का उद्देश्य था इस प्रश्न को लाने का तो हमने जो जवाब दिया है वह तो मुद्रित है और उसका जो सबसे बड़ा लाभ हमलोग देख रहे हैं, चूंकि इसमें एक बदलाव किया गया है भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से और वह फरवरी में किया गया है और उस समय मात्र हमलोग..

अध्यक्ष : फरवरी, 2025 में किया गया है ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : जी 2025 में, एक महीना मात्र हुआ है और 0–6 वर्ष तक के लिए मात्र हमलोग 94,690 बच्चों का आभा आई0डी0 बनवाये थे और आज की तारीख में हमलोगों के पास जो आंकड़े हैं, यह बदलाव करने से, माता–पिता के आधार से जो बनने पर आया है उसमें अभी आंकड़ा हो गया है 6,90,045, तो यह बड़ा अंतर है, इसलिए माननीय सदस्य को हमलोग आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द इसको पूरा कर लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरा कर लेंगे ।

श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–17 (श्री अजीत शर्मा, भागलपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री भाई वीरेंद्र ।

तारांकित प्रश्न संख्या–''क''–1140 (श्री भाई वीरेंद्र, मनेर)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–26/2023 (TRE-1.0), 27/2023 (TRE-2.0) एवं 22/2024 (TRE-3.0) के तहत दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 962, दिनांक– 22.01.2021 के प्रावधानों के आलोक में किया गया है । उक्त संकल्प में राज्य से बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

इस प्रकार दूसरे राज्य के अभ्यर्थी गुणागुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हो सकते हैं । यदि दूसरे राज्य के सभी वर्गों के दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तो उनका चयन गुणागुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग कोटि के अंतर्गत हो सकता है ।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांग आरक्षण के आलोक में चयन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 19127/2013 एवं 25001/2013 में क्रमशः दिनांक– 03.12.2013 एवं 17.02.2014 को न्यायादेश पारित किया चुका है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री भाई वीरेंद्र : महोदय, सरकार का जो जवाब आया है वह भेग है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री भाई वीरेंद्र : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन का संकल्प जो जवाब में उल्लेखित है, उसको स्पष्ट करें ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, इस विषय की हमने पुनः समीक्षा की थी, इसके आलोक में सामान्य प्रशासन का और जो कोर्ट से आदेश पारित हुआ था उसके आलोक में भी कुल मिलाकर हमलोगों ने जो आंकड़ा पाया है वह सात हजार से ज्यादा है । वैसे शिक्षकों को जो दिव्यांग बच्चे–बच्चियों को पढ़ा सकें उसकी अधियाचना हमने पुनः

समीक्षा करके बी0पी0एस0सी0 को भेज दी है कि वे शिक्षक जो क्वालिफाई करेंगे बी0पी0एस0सी0 के थ्रू, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे उनकी संख्या सात हजार से ज्यादा होगी तो सामान्य प्रशासन का जो निर्देश है और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक निर्देश था दोनों को मिलाकर हमने समीक्षा की है और भेज दिया है । हमलोगों ने पुनः आग्रह किया है कि बी0पी0एस0सी0 जल्द से जल्द प्रकाशन करे उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ताकि हम उनको विभाग में ले सकें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका काम तो हो गया ।

श्री भाई वीरेंद्र : अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले ही मैंने कहा कि सरकार के जवाब में भेग है और डोमिसाइल नीति लागू करनी थी, बाहरी जो व्यक्ति हैं दिव्यांग उसमें 121 व्यक्तियों को, दिव्यांगों की बहाली की गयी है दूसरे राज्यों के लोगों का और इस राज्य के केवल 44 व्यक्तियों की ही बहाली की गयी है, तो सरकार की जो नीति है उसका खुल्लम–खुल्ला उल्लंघन है कि दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री भाई वीरेंद्र : महोदय, सरकार स्पष्ट करे कि 121 दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का जो चयन हुआ है उनमें से कितने अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हुए हैं ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है किसी नीति का, जो नीतियां पूर्व में बनी थी नियुक्तियों की, तो उसी का अनुपालन हुआ है । जहां तक उन्होंने डाटा मांगा है अलग–अलग कैटेगरी का, मैं आपको अलग से दे दूंगा लेकिन जो नीति निर्धारित है उसी के तहत नियुक्तियां हुई हैं । यह अलग बात है कि वहां पर संख्या ज्यादा है इसलिए हमलोगों ने पुनः समीक्षा की, जैसा हमने बताया कि सात हजार से ज्यादा इस बार हमलोग नियुक्तियां करेंगे और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं, वह अभी तत्काल लागू नहीं है ।

श्री भाई वीरेंद्र : अध्यक्ष महोदय, सामाचार पत्रों में भी निकला था और जो सामाचार पत्रों में निकला था उसी के आलोक में हमने यह प्रश्न किया था..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसलिए तो उन्होंने जवाब दिया है ।

श्री भाई वीरेंद्र : नहीं महोदय, ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति का हमारा विचार नहीं है, तो आपकी सरकार ने विचार किया कि हम अपने राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे, आपने प्राथमिकता कहां दी ? दूसरे राज्यों के 121 अभ्यर्थियों को आपने प्राथमिकता दी, टीचर में भी वही हाल हुआ, दूसरे राज्य के लोग चले आये और इस राज्य का बेरोजगार, बेरोजगार ही रह गया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मैंने तो पूछा ही, लेकिन वह उसका जवाब सही नहीं दे पाये ।

अध्यक्ष : बताया न उन्होंने कि समीक्षा की है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : सरकार ने राज्य के कितने दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन क्षैतिज और लम्बवत आरक्षण कोटि के तहत किया है, वर्गवाइज स्पष्ट करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो उसमें आरक्षण नीति का अक्षरशः पालन हुआ है और हम आपको उसका ब्रेकअप दे देंगे और आगे जो हम सात हजार से ज्यादा नियुक्तियां करेंगे बीपीएससी में उसका भी अनुपालन हम लोग उसमें करेंगे । जहां तक डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, उसमें जो इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि 70 प्रतिशत या 80 प्रतिशत दूसरे राज्य के हैं, यह गलत है । जो हम लोगों ने अभी तक टीआरई–3 वगैरह में देखा है, तो 20 या 22 प्रतिशत का है, करीब 80 प्रतिशत यहीं के शिक्षक–शिक्षिकाएं हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अभी भी मंत्री जी सरकार के निदेश का और संकल्प का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : दे ही न रहे हैं । अब कैसा जवाब चाहिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : नहीं सर । यह प्रोपर्टी हो गयी सदन की और हमारे क्वेश्चन को हमेशा कहा जाता है कि अध्यक्ष महोदय को मैं भिजवा दूंगा, सदस्य को भिजवा देंगे, ऐसा थोड़े ही होता है ।

अध्यक्ष : हां, क्यों नहीं होता है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : हमने प्रश्न किया है और यह सदन की प्रोपर्टी हो गयी । सदन की प्रोपर्टी होती है, हमको स्पष्ट करें ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अब कल क्या होगा, सदन खत्म होगा, मंत्री जी से भेंट होगी कि नहीं होगी, कौन जानता है ?

अध्यक्ष : नहीं–नहीं, बिल्कुल होगी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : नहीं होगी न ।

अध्यक्ष : बिल्कुल होगी । उन्होंने कहा है कि भिजवा देंगे, तो भिजवायेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : इसलिए हमने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर हम चाहेंगे..

श्री सुनील कुमार, मंत्री : आप जब भी भेंट करना चाहे, कब भेंट नहीं हुई है आपसे ? आप बता दें। पहले भी बहुत बार भेंट हो चुकी है दूसरी परिस्थितियों में ।

अध्यक्ष : आप जब प्रश्न करते हैं, कितनी बार भेंट किये आप । दोनों मिले हुए हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : यह सदन की प्रोपर्टी है । आपको भिजवा देंगे, ऐसा नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं । यह बिहार के बेराजगार दिव्यांगों का मामला है । अगर दिव्यांगों का भी सही चयन आप नहीं करते हैं, आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं, तो हम समझते हैं कि आप दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं..

अध्यक्ष : बैठ जाइये, भाषण हो रहा है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : नहीं–नहीं, यह भाषण नहीं है सर । यह स्पष्ट उत्तर नहीं हुआ ।

अध्यक्ष : बैठिये । अब पूरा हो गया । श्रीमती ज्योति देवी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–''ख'' 1428 (श्रीमती ज्योति देवी, बाराचट्टी)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–''ग'' 1987 (श्री प्रणव कुमार, मुंगेर)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग, प्रणव कुमार जी का उत्तर दीजिए ।

श्री मोती लाल प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभागीय पत्रांक–525, दिनांक–24.03.2025 द्वारा अपर महानिदेशक, एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जो अप्राप्त है । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा समीक्षोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कब तक अधिकारियों से जवाब मांगेंगे । वहां जमीन रहते हुए, आखिर अधिकारी क्यों नहीं एनसीसी ऑफिस बनाने के लिए दिया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, वह दूसरे जिला में ले गये हैं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री मोती लाल प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, शीघ्र प्राप्त कर ली जायेगी ।

अध्यक्ष : शीघ्र प्राप्त कर लिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2057 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, खजौली)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 स्वीकारात्मक ।

खंड–2 अस्वीकारात्मक । विषयांकित मामला नॉन हिट एण्ड रन से संबंधित है । उक्त प्रकार के मामले में बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में वाद दायर किये जाने का प्रावधान है । विषयांकित मामले में जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती रामपरी देवी द्वारा दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में कोई वाद दायर नहीं किया गया था । सचिव, बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरभंगा द्वारा पहल करते हुए दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरभंगा में वाद को ऑन लाइन दर्ज करा दिया गया है जिसका आवेदन सं0–DARB0087/2025 दिनांक–13.03.2025 है। दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के आलोक में पीड़ित को मुआवजा भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

खंड–3 उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है माननीय मंत्री जी का, यह नॉन हिट एण्ड रन से संबंधित मामला है । महोदय, ठोकर लगने पर ही दो तरह के मामले बन जाते हैं । एक नॉन हिट एण्ड रन और एक हिट एण्ड रन । गरीब लोग जिसका एक्सीडेंट होता है, वह समझ नहीं पाते हैं..

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : कि हिट एण्ड रन है कि नॉन हिट एण्ड रन है । तो पहला पूरक होगा मेरा माननीय मंत्री जी से कि इसको सुलभ बनाने के लिए क्या दोनों को एक तरह के मामले में सम्मिलित किया जा सकता है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिट एण्ड रन मामले में होता है कि गाड़ी ठोकर मार कर चली जाती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है और नॉन हिट एण्ड रन का जो मामला है उसमें गाड़ी पकड़ी जाती है और इसके तहत हम लोगों ने, जो आपने क्वेश्चन किया है, उनका मामला दायर नहीं किया हुआ था । मृतकों के आश्रितों के द्वारा न्यायाधिकरण में वाद दाखिल नहीं किया गया । जिला पदाधिकारी, मधुबनी की पहल पर अब वाद दाखिल कर दिया गया है 13.03.2025 को । न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के आलोक में मुआवजा का भुगतान किया जायेगा ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नॉन हिट एण्ड रन में ट्रिब्यूनल है और उस ट्रिब्यूनल के पास वकील रखकर दायर करना पड़ता है ।

अध्यक्ष : आपने तो पूछा है कि कब तक भुगतान किया जायेगा, तो भुगतान करेंगे ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, भुगतान में जो विलंब होता है हम उसके लिए कह रहे हैं कि गरीब आदमी को परेशानी यह है कि वह वकील कहां से रखेगा ।

अध्यक्ष : आपका प्रश्न भुगतान से संबंधित है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : इसलिए विभाग अपने स्तर से उन लोगों को वकील उपलब्ध कराकर शीघ्र उसका भुगतान कराना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : आपका सुझाव मंत्री जी ने सुन लिया । बैठिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, भुगतान कब तक करा देंगे ?

अध्यक्ष : भुगतान कब तक कराइयेगा, बताइये ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : महोदय, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में समीक्षा करते हुए पूर्व के नियमानुसार उच्च न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष होते हैं जिनके सहयोग हेतु एक सचिव एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति होती है, प्रतिनियुक्ति की गयी जिसमें पीड़ित एवं बीमा कंपनी द्वारा अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुआवजा भुगतान हेतु पक्ष रखा जाता है ।

अध्यक्ष : भुगतान कब तक करियेगा, वह बताइये ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : उसमें जो निर्णय आता है उसके आधार पर ही हम लोग करते हैं ।

अध्यक्ष : निर्णय आयेगा तो भुगतान हो जायेगा ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : धन्यवाद । शीघ्र करा दें महोदय ।

अध्यक्ष : हां, शीघ्र करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2058 (श्री अरूण सिंह, काराकाट)

(लिखित उत्तर)

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. अस्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकरी, रोहतास के पत्रांक–36 दिनांक–17.03.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड–काराकाट, पंचायत देव में खेल मैदान अवस्थित है।

2. स्वीकारात्मक।

राज्य सरकार द्वारा छात्र–छात्राओं के शारीरिक विकास एवं खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है।

3. स्वीकारात्मक।

रोहतास जिला के प्रखंड–काराकाट, पंचायत देव के मध्य विद्यालय, देव में खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये,आप अधिकृत हैं ।

श्री रामबली सिंह यादव : पूरक ही पूछ रहा हूं महोदय । यह जो प्रश्न किया गया था उसमें था कि देव गांव है काराकाट प्रखंड का और वहां कोई खेल मैदान नहीं है, लेकिन महोदय, उत्तर दिया गया है कि अवस्थित है । तो पहला पूरक हम माननीय मंत्री जी

से यह पूछ रहे हैं कि देव पंचायत तो बड़ी है, किस गांव में अवस्थित है, आप यह बता दें और मैं समझता हूं कि यह प्रश्न विरोधाभास..

अध्यक्ष : बाद में समझियेगा, पहले जवाब होने दीजिए ।

श्री रामबली सिंह यादव : यह विरोधाभासी है, महोदय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये न ।

श्री रामबली सिंह यादव : क्या माननीय मंत्री इसकी जांच कराकर इस पर कार्रवाई करना चाहेंगे?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. अस्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकरी, रोहतास के पत्रांक–36 दिनांक–17.03.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड–काराकाट, पंचायत देव में खेल मैदान अवस्थित है।

2. स्वीकारात्मक।

राज्य सरकार द्वारा छात्र–छात्राओं के शारीरिक विकास एवं खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है।

3. स्वीकारात्मक।

रोहतास जिला के प्रखंड–काराकाट, पंचायत देव के मध्य विद्यालय, देव में खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

अध्यक्ष : प्रारंभ किया जा रहा है ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, मैंने जो पूरक पूछा कि वह देव पंचायत के किस गांव में है, जो डी0एम0 साहब ने प्रतिवेदन दिया और माननीय का प्रश्न है कि वहां कोई खेल मैदान नहीं है ।

अध्यक्ष : इन्होंने कहां कहा कि है ।

श्री रामबली सिंह यादव : नहीं, उत्तर में तो है । उत्तर जो माननीय मंत्री जी ने पढ़ा है ।

अध्यक्ष : पहले सुन लीजिए न । मंत्री जी ने जो जवाब दिया फिर से सुन लीजिए न । उन्होंने कहा है देव पंचायत के विद्यालय का नाम बताया है, जहां किया जा रहा है ।

श्री रामबली सिंह यादव : सुना जाय महोदय । पहला जो उत्तर है, जो माननीय मंत्री जी ने पढ़ा कि प्रखंड काराकाट के पंचायत देव में खेल मैदान अवस्थित है और ऊपर अस्वीकारत्मक है । तो मैंने जो पहला पूरक पूछा कि वह देव पंचायत के किस गांव में अवस्थित है जो डीएम साहब ने जवाब दिया है ।

अध्यक्ष : किया जा रहा है ।

श्री रामबली सिंह यादव : और दूसरा है कि क्या उस पर जांचोपरांत कार्रवाई की जायेगी, जो गलत उत्तर दिया गया है । दूसरा पूरक है महोदय...

अध्यक्ष : कह रहे हैं कि किया जा रहा है, तो कैसे कार्रवाई हो सकती है ?

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, सुना जाय ।

अध्यक्ष : बना कहां है ?

श्री रामबली सिंह यादव : जवाब में लिखा हुआ है महोदय । दूसरा है महोदय कि जो सबसे नीचे माननीय मंत्री जी ने उत्तर पढ़कर सुनाया कि मध्य विद्यालय के खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, हम जानना चाहते हैं कि वह खेल मैदान कितना लंबा–चौड़ा है, कितना रकबा का है ? महोदय, यह हमें बतायें । मैं पूरी तरह से जानता हूं कि वहां कोई खेल मैदान नहीं है जिसका प्रारंभ किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : यह नाप कर बतायेंगे, बताइये ।

श्री रामबली सिंह यादव : उसका रकबा बताइये महोदय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य से हमने कहा है कि रोहतास जिला के प्रखण्ड काराकाट पंचायत देव के मध्य विद्यालय, देव में खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है ।

टर्न–3/धिरेन्द्र/25.03.2025

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, उसकी लंबाई–चौड़ाई बतायी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हम माननीय मंत्री जी को कह देंगे कि वे नाप कर आपको भिजवा दें ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, हम बता रहे हैं, या तो मंत्री जी रकवा बतायें, मैं जानता हूँ कि उस मध्य विद्यालय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाप कर भिजवा देंगे ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, उस मध्य विद्यालय के पास खेल की कोई जमीन नहीं है । महोदय, बिल्कुल गलत उत्तर दिया गया है और इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को प्रस्ताव दे रहा हूँ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी बता रहे हैं ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, एक और है, मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ कि उसी देव गाँव में खाता संख्या–884, प्लॉट संख्या–2921, जिसका रकवा 13 एकड़ 45 डिसमिल है । क्या

सरकार उस पर खेल मैदान का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी, इन्होंने जो सुझाव दिया है उसको एक बार दिखवा लीजिये ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : महोदय, ठीक है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कोई नया प्लॉट बता दिया तो बिना इंक्वायरी का हो जायेगा क्या ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2059 (श्री शमीम अहमद, नरकटिया)

(लिखित उत्तर)

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष–2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 50000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में डॉ0 भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय (720 आसन) की स्थापना एवं निर्माण किया जाना है ।

वर्ष–2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के छौड़ादानो एवं बनकटवा प्रखंडों में अनुसूचित जाति की आबादी क्रमशः 14911 एवं 11894 तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी क्रमशः 32 एवं 11 है, जो उक्त अर्हता के अन्तर्गत नहीं है ।

श्री शमीम अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है लेकिन बहुत ही निराशाजनक है । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि ये वर्ष 2011 के जनगणना का जिक्र कर रहे हैं । महोदय, जब वर्ष 2023 में जातीय जनगणना हुई तो उस आधार पर हमको बतायेंगे कि छौड़ादानो प्रखंड, बनकटवा प्रखंड और बंजरिया प्रखंड में कितनी संख्या है ? मैंने सवाल किया है कि स्कूल खोलने के लिए और जवाब आया है कि 50 हजार आबादी पर हम रखे हुए हैं तो इतने दिनों में, 14 साल में जनसंख्या क्या हुई....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक क्या है ?

श्री शमीम अहमद : महोदय, सरकार कब तक स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ।

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विस्तृत जवाब दिया गया है और इस सवाल के जवाब में आपको बताया गया है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार एक प्रखंड में जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 हजार होगी, वहीं हम एक 720 आसन का विद्यालय खोलेंगे । अभी वह मानक पूर्ण नहीं है जो छौड़ादानो क्षेत्र में या प्रखंड में आपने माँग की है, वह मानक पूरा नहीं है तो शायद अभी स्कूल खोलने की स्थिति नहीं है ।

श्री शमीम अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2023 में जनगणना हुई तो उस हिसाब से माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी की जनसंख्या कितनी है और....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी तो वर्ष 2011 की जनगणना ही प्रामाणिक है, दूसरी जनगणना की बात कैसे हो सकती है ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, ठीक है वह प्रामाणिक नहीं है तो क्या यह 50 हजार से घटाया जा सकता है ? राईट टू एजुकेशन के लिए हमारे माननीय मंत्री जी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, कितने सालों में यह 50 हजार तक की आबादी पूरी होगी तब ये स्कूल खुलेगी ? इसका जवाब माननीय मंत्री जी दें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ।

श्री जनक राम, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय बहुत जानकार हैं....

अध्यक्ष : सब लोग जानकार है ।

श्री जनक राम, मंत्री : महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ और 15 साल के आपके शासनकाल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यालय कितने खुलें, अगर खोलेंगे तो विस्तृत हो जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, प्रश्न का जवाब दीजिये ।

श्री जनक राम, मंत्री : महोदय, अभी यह मानक पूरा नहीं हो रहा है तो शायद अगले वित्तीय वर्ष में जब 50 हजार यह पूरा हो जायेगा तो निश्चित रूप से विद्यालय खोलने का काम किया जायेगा.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वे जवाब दे रहे हैं, मैंने टोका उनको ।

(व्यवधान)

बैठिये । मैंने उनको टोका है । आप दूसरे की बात नहीं सुनते हैं । बैठिये, मंत्री जी को जवाब देने दीजिये ।

श्री जनक राम, मंत्री : महोदय, आपने पूर्व की बातों को याद किया कि अब तक आपने कितने स्कूल खोले हैं तो मुझे बताने में, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को बताने में मुझे खुशी हो रही है कि 19 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए लगभग 112 विद्यालय चलाये जा रहे हैं और 50 हजार आबादी के अनुरूप जब पूरा नहीं होगा तो अभी विद्यालय खोलने की स्थिति नहीं है । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या–2060 (श्री राकेश कुमार रौशन, इस्लामपुर, नालन्दा)

(लिखित उत्तर)

श्री रत्नेश सादा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

1. वस्तुस्थिति यह है कि शेखपुरा के अधीक्षक मद्य निषेध की सेवानिवृति होने, बक्सर जिला के अधीक्षक के विरुद्ध आपराधिक थाना कांड दर्ज होने पर निलंबित किये जाने, कैमूर जिला में अधीक्षक का पद रिक्त रहने तथा सिवान जिला के अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति बी0एस0बी0सी0एल0, पटना में किये जाने के कारण कार्यहित में तत्कालिक व्यवस्था के तहत इन जिलो में निरीक्षक मद्य निषेध को प्रभारी अधीक्षक का पदभार दिया गया है ।

2. उपरोक्त जिलों में अधीक्षक मद्य निषेध के रिक्त पदो ंके विरुद्ध मात्र एक पदाधिकारी पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत हैं, जिसकी पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इसके अतिरिक्त तीन नव नियुक्त पदाधिकारी बिपार्ड में प्रशिक्षणरत हैं जिन्हें माह मई, 2025 में प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा ।

3. उपरोक्त वर्णित चार जिला यथा बक्सर, कैमूर, सिवान और शेखपुरा में अधीक्षक मद्य निषेध के प्रभार में कार्यरत निरीक्षक मद्य निषेध के विरुद्ध विभाग में कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं है और ना ही कोई विभागीय कार्यवाही लंबित है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखिये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूछिये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, शराबबंदी बिहार की एक महत्वपूर्ण समस्या है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक क्या है ?

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है । महोदय, हमने जो प्रश्न किया था कि राज्य के चार जिलों यथा बक्सर, कैमूर, सिवान और शेखपुरा में जो उत्पाद अधीक्षक हैं उनकी जगह पर वहाँ इंस्पेक्टर को पदस्थापित किया गया है और ये चारों जिला जो है वह उत्तर प्रदेश और झारखंड जिला के बॉर्डर का इलाका है । यहाँ से शराब की खेप बिहार में आता है और लगातार पकड़ाता है तो महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि इन बॉर्डर इलाकों में क्या सरकार स्थायी रूप से जिला अधीक्षक उत्पाद बनाना चाहती है, यदि चाहती है तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री रत्नेश सादा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अधीक्षक मद्य निषेध के प्रभार में कार्यरत निरीक्षक द्वारा दर्ज कुल अभियोग गिरफ्तारी की संख्या, जप्त शराब की मात्रा, जप्त महुआ एवं जप्त वाहन का विवरण निम्नवत है । महोदय, राकेश जी का जो कहना है उसमें हम उनको उत्तर दे दिये हैं लेकिन जो इनका पूरक है कि प्रभारी क्यों बनाया गया ? अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि सिवान में श्री गणेशचंद, जो कुल अभियोग 587 है, कुल गिरफ्तारी 1260 है, कुल जप्त शराब 45,642 लीटर है....

(व्यवधान)

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, सवाल कुछ है और मंत्री जी का जवाब कुछ और आ रहा है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये । हम बता रहे हैं ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, मैंने तो सीधे तौर पर पूछा कि क्या स्थायी अधीक्षक की नियुक्ति करना चहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठियेगा तब न पहले । माननीय मंत्री जी, ये पूछ रहे हैं कि स्थायी अधीक्षक की बहाली कब तक करेंगे ?

श्री रत्नेश सादा, मंत्री : महोदय, वर्तमान में अधीक्षक मद्य निषेध के आठ पद रिक्त हैं जिसमें अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत छः पद अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित रखे जाने, एक अधीक्षक मद्य निषेध पदस्थापना की प्रतीक्षा में होने तथा एक अधीक्षक मद्य निषेध निलंबित रहने के कारण वर्तमान में उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किये जाने की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ये कह रहे हैं कि स्थायी अधीक्षक कब तक बहाल करेंगे ? उसके बारे में बोलिये ।

श्री रत्नेश सादा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी....

अध्यक्ष : मंत्री जी, आपके जवाब में लिखा है कि तीन नवनियुक्त पदाधिकारी बिपार्ड में प्रशिक्षणरत हैं ।

श्री रत्नेश सादा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तीन मद्य निषेध के पदाधिकारी बिपार्ड में प्रशिक्षणरत हैं, मई में प्रशिक्षण समाप्त होगी उसके बाद हम उनको पदस्थापित कर देंगे ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले प्रश्नकर्ता का हो जाने दीजिये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि क्या सरकार की यह नीति है कि इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को उत्पाद अधीक्षक बना दिया जाय ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री रत्नेश सादा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : मंत्री जी, उत्तर में लिखा हुआ है ।

श्री रत्नेश सादा, मंत्री : जी, महोदय ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, प्रभारी अधीक्षक बनाये हैं ?

श्री रत्नेश सादा, मंत्री : जी, महोदय । अभी भी पद है इसलिए हम प्रभारी बनाये हैं और प्रभार भी हम देंगे ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सप्लीमेंट्री है । अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि आप प्रभार देते भी हैं तो जिला के किसी वरीय पदाधिकारी को दीजिये, इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी से शराबबंदी कंट्रोल होने वाला नहीं है । क्या स्थिति है बिहार की यह सब लोग जान रहे हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, तो मेरा तीसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने ही जवाब में स्वीकार किया है कि विभाग में पदाधिकारी पोस्टिंग की प्रतीक्षा में हैं, उनको जिला में पदस्थापित करना चाहते हैं और मेरा जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि क्या सरकार उत्पाद अधीक्षक की कमी को पूरा करना चाहती है यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो जवाब में लिखा है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, ऐसा जवाब नहीं है, उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षणरत हैं उसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

(व्यवधान)

आप बैठियेगा तब न जवाब देंगे ।

श्री रत्नेश सादा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला में आठ पद रिक्त हैं लेकिन तीन हमारे प्रशिक्षण में हैं और एक अभी निलंबित है उस पर विभागीय कार्रवाई चल रही है । प्रशिक्षण समाप्त होते ही हम तुरंत पदस्थापन कर देंगे ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, मेरा सवाल था कि....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गया ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, इस कमी को कब तक सरकार पूरा करेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, वही तो कह रहे हैं ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, आठ जिलों की बात कर रहे हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया ।

श्री राकेश कुमार रौशन : नहीं, महोदय । ये आठ जिलों की बात कर रहे हैं और ये पूरे बिहार में तीन ही पदाधिकारी के बारे में बता रहे हैं कि प्रशिक्षणरत हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री कौशल किशोर ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, इस तरह से सरकार को प्रोटेक्शन देकर

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उन्होंने कहा है कि पदस्थापित करेंगे प्रशिक्षण से लौटने के बाद ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, सवालकर्ता के जवाब को नहीं किया जाय । महोदय, कब तक सरकार पदस्थापित करना चाहती है ?

टर्न–4 / संगीता / 25.03.2025

तारांकित प्रश्न सं0–2061 (श्री कौशल किशोर, राजगीर)

(लिखित उत्तर)

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत सिलाव प्रखण्ड के ग्राम पंचायत गोरावा पाकी के ग्राम सिकन्दरा में प्रश्नगत खाता संख्या–492 प्लॉट संख्या–4558 पर सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है । साथ ही रविदास टोला में अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या–41 एवं आबादी–261 है, जो सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण हेतु निर्धारित मानक से कम है ।

खंड–2 वस्तुस्थिति यह है कि गिरियक प्रखण्ड के ग्राम पंचायत रैतर के ग्राम भोजपुर मांझी टोला में अनुसूचित जाति परिवार की संख्या 59 एवं आबादी–335 है, जो सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण हेतु निर्धारित मानक से कम है, प्रतिवेदित है ।

खंड–3 उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री कौशल किशोर : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग । उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री जनक राम, मंत्री : महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : आप पढ़ दीजिए न, नहीं मिला है कौशल किशोर जी को ।

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नालन्दा जिला अन्तर्गत सिलाव प्रखण्ड के ग्राम पंचायत गोरावा पाकी के ग्राम सिकन्दरा में प्रश्नगत खाता संख्या–492 प्लॉट संख्या–4558 पर सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है । साथ ही रविदास

टोला में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या–41 एवं आबादी–261 है, जो सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण हेतु निर्धारित मानक नहीं है ।

श्री कौशल किशोर : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि वहां भूमि उपलब्ध है और आबादी भी वहां पर है किन्तु अभी तक निर्माण नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष : जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है वे तो कह रहे हैं मानक के अनुसार आबादी नहीं है ।

श्री कौशल किशोर : नहीं, आबादी तो है वहां महोदय ।

अध्यक्ष : भूमि की उपलब्धता का तो विषय नहीं है !

श्री कौशल किशोर : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न रैतर का भी है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक बार आप दिखवा लीजिए ।

श्री जनक राम, मंत्री : जी महोदय, दिखवा लिया जाएगा ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय मंत्री जी दिखवा लेंगे । बैठ जाइए ।

श्री कौशल किशोर : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0–2062 (श्री संदीप सौरभ, पालीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय संस्कृत विद्यालयों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 200 (दो सौ) करोड़ का बजटीय उपबंध था, जिसके अंतर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या 07 दिनांक 14.05.2024 द्वारा 1,19,22,29,568/–(एक अरब उन्नीस करोड़ बाइस लाख उन्तीस हजार पांच सौ अड़सठ) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान करते हुए राशि जिला को आवंटित किया गया था । वित्त विभाग के अनुमोदन से राशि रुपये 75,45,39,215/–(पचहत्तर करोड़ पैंतालीस लाख उनचालिस हजार दो सौ पन्द्रह रुपये) मात्र का स्वीकृत्यादेश निर्गत करते हुए अनुदान की राशि संबंधित जिला को आवंटित किया जा चुका है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, संदीप सौरभ जी नहीं हैं उन्होंने मुझे प्राधिकृत किया है।

अध्यक्ष : अजीत जी, पूरक पूछिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, यह तो सवाल क्या है और जवाब क्या है, पता नहीं हुजूर का मिजाज क्या है ? ये जितना छोटा सवाल पूछो उतना लंबा जवाब देते हैं, लंबा सवाल पूछो, छोटा जवाब देते हैं । महोदय, हमने सवाल पूछा कि 531 अनुदानित संस्कृत विद्यालय हैं, 8 महीनों से वेतन नहीं मिला हुआ है । उसका वेतन कब देंगे, इतना ही तो पूछा गया है । इन्होंने लंबा–चौड़ा, दो सौ करोड़–डेढ़ सौ करोड़ दिया गया...

अध्यक्ष : आपको स्पष्ट जानकारी देने के लिए दिया होगा ।

श्री अजीत कुमार सिंह : और ये सब किया गया । मैं पूछना चाहता हूं...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मेरा पूरक यही है कि जो इन्होंने जवाब में लिखा है कि आवंटित किया जा चुका है । ये कब आवंटित किया गया यह मेरा पहला पूरक है ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसमें जो कमियां थीं, 75 करोड़ 45 लाख 39 हजार 215 रुपये मात्र का स्वीकृत्यादेश हमलोगों ने करीब 4 दिन पहले इसको निर्गत कर दिया है और उसका लंबा–चौड़ा जवाब देने का सिर्फ यही मकसद था कि हमलोगों ने पूर्व में जो 1 अरब 19 करोड़ 22 लाख 29 हजार 568 रुपये जो बजट में था तो जो कमियां थीं उसको हमलोगों ने अनुपूरक से पूरा किया और इस वजह से यह विलंब हुआ लेकिन अब हमलोगों ने सुधार कर लिया और अगले वित्तीय वर्ष में इस तरह की परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री सुनील कुमार, मंत्री : जिलावार भी मेरे पास ब्रेकअप है अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसको भी हम उनको उपलब्ध करा देंगे ।

अध्यक्ष : आपको छोटा जवाब दिए तब भी संतुष्ट नहीं होते हैं आप, बड़ा जवाब देते हैं तब भी संतुष्ट नहीं होते हैं, कैसे होगा बोलिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, पूरक तो बहुत बड़ा न हो गया ।

अध्यक्ष : ठीक है, पूछिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, बड़ा इसलिए है कि 8 महीनों से वेतन नहीं मिले तो व्यक्ति का जीवन कितनी परेशानी में गुजरता है...

अध्यक्ष : कारण तो बताया मंत्री जी ने । आप पूरक पूछिए, पूरक ।

श्री अजीत कुमार सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने जो कहा कि हमने इसकी कमी को अनुपूरक से पूरा किया, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का जो बजटीय प्रावधान था क्या उसमें इन शिक्षकों को वेतन देने के लिए बजट नहीं बचा, खत्म हो गया था जिसकी वजह से अनुपूरक दिया गया या इनके द्वारा आवंटित बजट किसी और मद में खर्च कर दिया गया, यह मैं जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिस भी बजट उपबंध होता है, जब भी जिस शीर्षक में हेड में जो पैसे आते हैं वह किसी भी विभाग को अधिकार नहीं रहता है कि उसको रिएप्रोप्रिएट कर ले, वह फाइनेंस डिपार्टमेंट जाता है, माननीय मंत्री की सहमति से तब वह दूसरे

जगह उसको खर्च कर सकता है । चूंकि बजट में राशि की कमी थी इसीलिए सप्लीमेंट्री से मांगा गया और मैं बताना चाहूंगा कि अगले वर्ष में यह स्थिति नहीं उत्पन्न हो इसीलिए हमलोगों ने वर्ष 2026–27 के लिए जो कमियां थी उसको पूरा कर लिए हैं ताकि इस तरह के जो संस्कृत के इन्स्टीट्यूशंस हैं उनको दिक्कत नहीं हो । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री मुकेश कुमार यादव ।

श्री अजीत कुमार सिंह : मतलब यह है कि...

अध्यक्ष : अब हो तो गया । अब क्या है ?

श्री अजीत कुमार सिंह : किसी भी शिक्षक को 8 महीने से वेतन नहीं मिला, इतने दिन वेतन नहीं मिलना भी एक आपराधिक कृत्य है...

अध्यक्ष : नहीं, आपने तो लिखा कि तत्काल अनुदान की राशि देने का विचार रखती है...

श्री अजीत कुमार सिंह : इतने दिनों से वेतन नहीं मिलने का जिम्मेदार कौन है महोदय, यह तो बताया जाय ।

अध्यक्ष : इन्होंने कहा पैसा रिलिज कर दिया, अब क्या है ? अब आप बैठिए ।
श्री मुकेश कुमार यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0–2063 (श्री मुकेश कुमार यादव, बाजपट्टी)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है।

1. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड–बाजपट्टी में वन विभाग द्वारा दो स्थलों पर रैखिक वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें बाजपट्टी से पुपरी रेलवे लाईन के किनारे दोनों तरफ 8000 माउण्ड पौधारोपण एवं बाजपट्टी से रायपुर पथ किनारे 3000 पीट पौधारोपण कराया गया है, जिसकी सुरक्षा मवेशी (जानवरों) से करने के लिए पशुरक्षियों को रखा गया है। उक्त वृक्षारोपण का पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण एवं स्थलीय भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही पौधों की उत्तरजीविता 90 प्रतिशत से अधिक है।

2. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड–नानपुर में दो स्थलों पर बॉस गैबियन वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें जानीपुर ग्राम से बेल मोहन ग्राम पतैंली पथ के दोनों तरफ 500 बॉस गैबियन एवं कोईली महारानी स्थान से कोईली मठ तालाब तक पथ के दोनों तरफ 500 बॉस गैबियन वृक्षारोपण कराया गया है, जिसकी कोड़नी–निकौनी एवं सुरक्षा का कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप किया जा रहा है। उक्त दोनों पौधारोपण स्थलों पर पौधों की उत्तरजीविता 100 प्रतिशत है।

3. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड–बोखड़ा में किसी भी स्थल पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य नहीं कराया गया है।

अध्यक्ष : शमीम जी, पूरक पूछिए ।

श्री शमीम अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है । मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं । इसमें जो जवाब मिला है, वहां पर पेड़ नहीं लग पाए हैं ढंग से तो ये फिर से जांच करा लें कि वहां पेड़ क्यों नहीं लगे और माननीय मंत्री जी 8 हजार पेड़ और 3 हजार पेड़ की बात कर रहे हैं तो इसकी जांच करा लें और जांच कराकर के जो पदाधिकारी इस तरह का जवाब बना रहे हैं उस पर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जांच करवा दीजिए ।

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पेड़ नहीं लगा है मैं उसका एविडेंस भी लेकर आया हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप जांच करवा दीजिए न ।

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : ठीक है अध्यक्ष महोदय, जांच करवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0–2064 (श्री पवन कुमार यादव, कहलगाँव)

(लिखित उत्तर)

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि:–

राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष–2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 50000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में डॉ0 भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय (720 आसन) की स्थापना एवं निर्माण किया जाना है।

वर्ष–2011 की जनगणना के अनुसार भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी क्रमशः 49589 एवं 16910 है, जो अर्हता के अन्तर्गत नहीं है।

2. वर्तमान में भागलपुर जिला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभागन्तर्गत 02 (दो) आवासीय विद्यालय कम्पनीबाग एवं पीरपैंती में संचालित है, जिसमें जिला के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र आवासीत होकर पठन–पाठन कर सकते है।

3. उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, पवन जी ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहलगांव प्रखंड में वर्ष–2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की संख्या– 49589 एवं अनुसूचित

जनजाति की संख्या–16910 बतायी गयी है जिसमें यह प्रतीत होता है कि कहलगांव प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या–66499 है, को ध्यान में रखते हुए सरकार कब तक डॉ0 भीम राव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय को आपके माध्यम से बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भागलपुर जिले में 02 पूर्व से अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय संचालित है और आपने एक विद्यालय की चिन्ता जाहिर किया है । अगले वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, 720 आसन का आवासीय विद्यालय निश्चित रूप से वहां बनवाने का काम किया जाएगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0–2065 (श्री भाई वीरेन्द्र, मनेर)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बी0डी0 कॉलेज, पटना के दो वरीय शिक्षक क्रमशः प्रो0 सीता सिन्हा, राजनीतिशास्त्र विभाग एवं डॉ0 पी0के0 वर्मा, भौतिकी विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थापित रहने के बावजूद बी0डी0 कॉलेज, पटना के द्वारा प्राप्त वेतन विपत्र एवं पदस्थापित महाविद्यालय के अनुपस्थित प्रपत्र के आलोक में इन्हें शहरी क्षेत्र का मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ता का भुगतान मूल महाविद्यालय का कर्मी मानते हुए किया जा रहा है ।

इसे प्रथम दृष्टया नियम संगत नहीं मानते हुए इस संबंध में नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक–915 दिनांक–24.03.2025 द्वारा राज्यपाल सचिवालय, राजभवन को अनुरोध पत्र भेजा गया है ।

अध्यक्ष : श्री भाई वीरेन्द्र जी, पूरक पूछिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब मिला है । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे एक चीज कि समय–सीमा इसका निश्चित कराइए, समय–सीमा कब तक है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने हाल में ही वाइस चांसलर्स की मीटिंग की थी और हर विश्वविद्यालय की भी हमलोग समीक्षा कर रहे हैं । उनसे कहा गया है कि अगले एक महीने के अंदर इसमें कार्रवाई करते हुए हमलोगों को बताएं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0–2066 (श्री कृष्ण कुमार ऋषि, बनमनखी)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, ऋषि जी ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं मिला है । मंत्री जी से आग्रह है कि एक बार पढ़ देते ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग । श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी का उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के प्रखंड ओबरा के पंचायत बेल के ग्राम सिहुड़ी में मौजा सिहुड़ी, थाना संख्या–388, खाता संख्या–99...

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद चले गए मंत्री जी हम पूर्णिया का पूछ रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी का जवाब चाहिए, मधेपुरा का ।

(व्यवधान)

मंत्री जी सक्षम हैं, सारे विधायकों का जवाब लेकर आए हैं । फाइल ऊपर–नीचे हो सकता है इसलिए शोर मत करिए ।

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

अध्यक्ष : अब हो गया, आप बैठिए ना ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, कब ?

अध्यक्ष : जल्दी होगा । बैठिए ।

तारांकित प्रश्न सं0–2067 (श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, समस्तीपुर)

अध्यक्ष : आपका क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया है नगर विकास एवं आवास विभाग में ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : जवाब कब आएगा सर ?

अध्यक्ष : जब नगर विकास विभाग का आएगा ।

श्री छत्रपति यादव, श्री छत्रपति यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0–2068 (श्री छत्रपति यादव, खगड़िया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2069 (श्री कुंदन कुमार, बेगूसराय)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि राजकीयकृत जनता उच्च विद्यालय, चाँदपूरा में उपलब्ध कमरों की संख्या–06 है । अतिरिक्त वर्गकक्ष एवं चाहरदिवारी के निर्माण हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BSEIDC) को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : कुंदन जी, पूरक पूछिए ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न चांदपुरा में वर्ग कक्ष निर्माण को लेकर है और बाउंड्री निर्माण का है । मैं पूरक यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो प्रस्ताव भेजा है वह कितने अतिरिक्त कमरों का प्रस्ताव भेजा है और कब तक इन कमरों का और बाउंड्री वॉल निर्माण हो जाएगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने जो इसकी समीक्षा की है, अगले 4 महीने में इसको अगले वित्तीय वर्ष में हमलोग पूरा कर लेंगे ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करेंगे ।

श्री कुंदन कुमार : धन्यवाद महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–2070 (श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, पिपरा, पूर्वी चंपारण)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण हेतु माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने के तहत दो कमरों का निर्माण रा0म0वि0, सिधवलीया के परिसर में कराते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय, महमूदपुर मझौलिया के कक्षा का संचालन कराया जा रहा है ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय, महमूदपुर मझौलिया में 06 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : श्याम बाबू प्रसाद जी पूरक पूछिए ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, जवाब में दिया गया है कि मध्य विद्यालय, सिधवलीया में 2 कमरा का निर्माण कराकर उच्च माध्यमिक विद्यालय महमूदपुर मझौलिया का कक्षा संचालन कराया जा रहा है जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालय महमूदपुर मझौलिया का मिडिल स्कूल में कक्षा संचालन कराया जा रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न–5 / सुरज / 25.03.2025

(क्रमशः)

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय, महमूदपुर, मझौलिया को महमूदपुर, मझौलिया में ही भवन निर्माण कराके कक्षा संचालित कराने का सरकार विचार रखती है ?

अध्यक्ष : आपने तो प्रश्न ही किया है अतिरिक्त भवन निर्माण के लिये । माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भवन निर्माण से संबंधित प्रश्न किया है जो कि अगले वित्तीय वर्ष में हमलोग पूरा करा देंगे । जो दूसरा इन्होंने प्रश्न किया है उस पर हमलोग विचार करेंगे ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, मेरा दूसरा पूरक है । जवाब में जो आया है उसमें 6 कमरा के निर्माण की कार्रवाई की बात कही गयी है । हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 06 कमरा का निर्माण कराकर कब तक कक्षा संचालन सरकार कराना चाहती है ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका भी प्राक्कलन इत्यादि सभी तैयार है अगले 05 महीने में, इसको अगले वित्तीय वर्ष में हमलोग पूरा कर लेंगे ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0–2071 (श्री विजय कुमार मण्डल, दिनारा)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : (लिखित उत्तर) अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यपक का पद सृजित नहीं है ।

पद सृजित नहीं रहने के कारण सरकार के स्तर से नियुक्ति हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, विजय जी ।

श्री विजय कुमार मण्डल : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछता हूं इसमें प्रशिक्षित महाविद्यालय में शिक्षक और सहायक प्रध्यापकों की नियुक्ति पर सरकार विचार करती है ?

दूसरा, जवाब में है कि पद सृजित नहीं है तो सरकार कब तक पद सृजित करने पर विचार रखती है ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि यह जो प्रशिक्षण का कार्रवाई होती है एस0सी0ई0आर0टी0 के द्वारा संचालित की जाती है। वर्तमान में सभी जिलों में हमलोगों ने डायरेक्टली व्यवस्था की है और पूर्व में जितने पद हमलोगों ने लिये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तो 906 पदों के लिये परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है, जिसमें से 820 व्याखाताओं ने अपने पद पर योगदान दे दिया है । वर्तमान में 785 व्याखाता कार्यरत हैं और इसकी तत्काल अगर हमें जरूरत होगी तो विचार करेंगे । तत्काल विचाराधीन इसलिये नहीं है क्योंकि हमलोग जो ट्रेनिंग दे

रहे हैं शिक्षकों को वह पर्याप्त है जिलों में भी और मुख्यालय में भी और साल में दो बार 6–6 महीने पर हरेक शिक्षक को हमलोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0–2072 (श्री राम रतन सिंह, तेघरा)

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : (लिखित उत्तर) अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

प्रशिक्षक की सेवा मानदेय के आधार पर एक वर्ष के लिये ली जाती है। प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित कर रहे प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकतानुसार इनकी सेवा अवधि को प्रत्येक वर्ष विस्तार किया जाता है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत एकल्वय राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन का दायित्व जनवरी, 2025 से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दी गयी है । वर्तमान में प्रशिक्षक के अहर्त्ता के अनुसार प्रतिमाह 25,000/–(पच्चीस हजार) एवं 30,000/–(तीस हजार) रुपये मानदेय दिया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मानदेय में क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत राशि वृद्धि का प्रावधान है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, राम रतन बाबू ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मुख्यमंत्री खेल विकास योजना से संबंधित हमारा सवाल है । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि संविदा के आधार पर आपने प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षक अल्प मानदेय पर नियुक्त कर रहे हैं और दूसरी सुविधा से भी उनको वंचित कर रहे हैं । तो मैं पूछना चाहता हूं कि इनको सरकारी सेवा में आप नियुक्त करना चाहते हैं और अल्प मानदेय में कब तक बढ़ोतरी करना चाहते हैं ? यह हमारा सवाल है ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

प्रशिक्षक की सेवा मानदेय के आधार पर एक वर्ष के लिये ली जाती है। प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित कर रहे प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकतानुसार इनकी सेवा अवधि को प्रत्येक वर्ष विस्तार किया जाता है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत एकल्वय राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन का दायित्व जनवरी, 2025 से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दी गयी है । वर्तमान में प्रशिक्षक के अहर्त्ता के अनुसार प्रतिमाह 25,000/–(पच्चीस हजार) एवं 30,000/–(तीस हजार) रुपये

मानदेय दिया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मानदेय में क्रमशः 15 से 30 प्रतिशत राशि वृद्धि का प्रावधान है ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो बताया जा रहा है, इसमें अभी तत्काल जिन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु आप नियुक्त कर रहे हैं, उनकी सुविधा, उनके मानदेय में आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं कि नहीं ? सीधा सवाल है ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : महोदय, प्रशिक्षक की अर्हत्ता के अनुसार प्रतिमाह 25,000 से 30,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये मानदेय में क्रमशः 15 से 30 प्रतिशत राशि की वृद्धि की जा रही है ।

अध्यक्ष : उतना परसेंट प्रशिक्षक को देते हैं ?

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : योग्यता के आधार पर देते हैं । बैठिये ।

तारांकित प्रश्न सं0–2073 (श्री कुमार सर्वजीत, बोधगया)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के धरहरा कला पंचायत में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, धरहरा खुर्द में कुल 02 कमरे हैं । विद्यालय में नामांकित बच्चों की कुल सं0–195 एवं शिक्षकों की कुल सं0–04 है ।

उक्त विद्यालय में नये वर्गकक्ष निर्माण हेतु जिला स्तरीय योजना समिति द्वारा योजना चयनित किया गया है, जिसके तहत 04 वर्गकक्ष निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया से वर्गकक्ष का निर्माण प्रस्तावित है । वित्तीय वर्ष–2025–26 में वर्गकक्ष का निर्माण करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, सर्वजीत जी ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से हमारा यही आग्रह है उत्तर तो इन्होंने दिया है । बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर दो कमरे में 200 बच्चे और 300 बच्चे पढ़ते हैं । महोदय, कल्पना किया जा सकता है कि 200 बच्चे...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : 02 कमरे में 200 बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं ? हम मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि मैंने जो प्रश्न किया इसके साथ–साथ क्या बिहार के....

अध्यक्ष : यहां प्रश्न में बिहार कहां है ?

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि यह गरीब बच्चों का सवाल है...

अध्यक्ष : आपका जो प्रश्न है उस पर पूछिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मेरे प्रश्न से मंत्री जी समीक्षा करके अगर बिहार के गरीब बच्चों के लिये दो कमरे के बदले यदि चार कमरे बना देते हैं तो यह पूछने में कहां कोई आपत्ति है, महोदय ।

अध्यक्ष : आपका तो चार ही कमरा बना रहे हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत : हम तो यही माननीय मंत्री जी से अग्रह कर रहे हैं सिर्फ कि यदि बिहार के वैसे स्कूल जिसमें दो कमरे में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भवनहीन हैं तो क्या माननीय मंत्री जी अगले वित्तीय वर्ष में वैसे स्कूल में...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका प्रश्न पार्टिकुल विद्यालय के लिये है, उससे संबंधित प्रश्न पूछिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, हम तो भले की बात ही पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : नहीं, जो प्रश्न किये हैं उसी के बारे में पूछेंगे न ।

श्री कुमार सर्वजीत : हम तो भले की बात ही पूछ रहे हैं कि अगर दो कमरे की बजाय वैसे सभी स्कूल में चार–चार कमरे बना दिये जाए तो गरीब के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे । यही तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं ।

अध्यक्ष : जिस विद्यालय का इन्होंने प्रश्न में जिक्र किया है उस विद्यालय में कितने कमरे बनाना चाहते हैं ? बताइये मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है उसमें चार अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है, जो हमलोगों ने आकलन किया है । अगले वित्तीय वर्ष में, चार से पांच महीने में उसको पूरा किया जायेगा और जहां तक अपनी इन्होंने चिंता जाहिर की है उसके बारे में सरकार बिल्कुल जागरूक है और 75000 से ज्यादा स्कूल आज के दिन में क्लास–1 से क्लास–10 तक हैं और चरणबद्ध तरीके से हमलोग प्राथमिकता के तौर पर जहां–जहां जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, वहां कर रहे हैं और जहां नये विद्यालयों की आवश्यकता है वह भी कर रहे हैं । इसमें पूरी संजीदगी से सरकार अपने कार्य को कर रही है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय..

अध्यक्ष : अब क्या प्रश्न है ? चार कमरा तो चार कमरा अगले वित्तीय वर्ष में...

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं इसलिये पूछ रहा हूं कि जो बच्चे ऊपर बैठे हैं ये सभी बच्चे वैसे कमरे में पढ़कर यहां आये हैं जहां पर एक कमरे में 10 से 15 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम उसी का प्रश्न कर रहे हैं कि बिहार के वैसे बच्चे, अभी प्लस टू का स्कूल तो माननीय मंत्री जी बढ़ा रहे हैं लेकिन आबादी बढ़ी न महोदय...

अध्यक्ष : अलग से प्रश्न करियेगा सर्वजीत जी । पूरे राज्य के बारे में अलग से प्रश्न कीजियेगा अभी एक विद्यालय का प्रश्न है आपका ।

श्री कुमार सर्वजीत : जैसी आपकी इच्छा, महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–2074 (श्री मोहम्मद अनजार नईमी, बहादुरगंज)
(लिखित उत्तर)

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विषयांकित मामला में जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सरबुल आलम, पिता–स्व0 पलानु की मृत्यु दिनांक–04.10.2021 को अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने के कारण परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0–4887 दिनांक–11.08.2021 के आलोक में जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा दिनांक–11.06.2022 को अंतरिम मुआवजा के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी किन्तु सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–2183/2022 (संदीप राज बनाम बिहार राज्य तथा अन्य) एवं अन्य संलग्न वादों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–21.12.2022 को पारित आदेश से नियमावली के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के कारण पीड़ित को मुआवजा का भुगतान नहीं किया जा सका है । परिवहन विभाग के अधिसूचना सं0–4887 दिनांक–11.08.2021 द्वारा अधिसूचित बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के तहत हिट एंड रन के मामले में मृतक के आश्रित को पांच लाख रुपया अंतरिम मुआवजा के भुगतान का प्रावधान था । सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–2183/2022 (संदीप राज बनाम बिहार राज्य तथा अन्य) एवं अन्य संलग्न वादों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में उक्त नियमावली की समीक्षा करते हुये मंत्रिमंडल की स्वीकृति से निरसित की जा चुकी है । इस स्थिति में उक्त नियमावली के तहत स्वीकृत मामले में अंतरिम मुआवजा का भुगतान नहीं किया जा सकता है ।

वर्तमान में दिनांक–01.04.2022 अथवा इसके बाद के तिथियों में हिट एंड रन के मामले में हुई मृत्यु पर मृतक के आश्रित को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम 'टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकार स्कीम, 2022' के तहत दो लाख रुपया मुआवजा के भुगतान का प्रावधन है । चूंकि सरबुल आलम की मृत्यु दिनांक–01.04.2022 के पूर्व हुई है । इस स्थिति में उक्त स्कीम के तहत मृतक के आश्रित को मुआवजा का भुगतान नहीं किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है कि दुर्घटना 04.10.2021 को होती है जिससे मृत्यु हो जाती है और 11.06.2022 को आदेश जिलाधिकारी द्वारा आदेश स्वीकृत कर दिया जाता है उसको मुआवजा देने के लिये । लेकिन 21.12.2022 को कोर्ट के आदेश के कारण रोक लगा दिया जाता है तो इसमें कोर्ट आदेश करता है कि 01.04.2022 से पहले, सरकार यह नोटिफिकेशन निकालती है कि 01.04.2022

अथवा उसके बाद हिट एंड रन में दो लाख रुपया दिया जायेगा । तो इसको मुआवजा कौन से मद से मिलेगा या कौन विभाग देगी ? जबकि सरकार पांच लाख रुपया घोषणा की थी तो उसको पांच लाख मिलना चाहिये । तो यह कौन देगी ?

श्रीमती शीला कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले यह हमलोगों की सड़क सुरक्षा निधि से दिया जाता था लेकिन उसके बाद दिनांक–01.04.2022 के प्रभाव से हिट एंड रन के मामले में दो लाख रुपये का मुआवजा भुगतान किया जा रहा था । सरबुल आलम, पिता–स्व0 पलानु की सड़क दुर्घटना में मृत्यु दिनांक–01.04.2021 को ही चुकी थी । जहां तक उस समय के नियमों के तहत मुआवजा भुगतान का प्रश्न है जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा 11.06.2022 को ही अंतरिम मुआवजा की स्वीकृति दी जा चुकी थी किंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त नियमावली के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी । फलतः भुगतान नहीं हो सका ।

टर्न–6/राहुल/25.03.2025

अध्यक्ष : कोर्ट का आदेश है तो क्या करेंगे ?

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : सर, पीड़ित को तो मिलना चाहिए न । कोर्ट का आदेश...

अध्यक्ष : कोर्ट का आदेश है तो क्या कर सकते हैं, रोक लगा दिया है तो ?

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : रोक लगा दिया है तो ये कह रहे हैं कि उसको नहीं दिया जा सकता है तो इसमें नहीं देंगे तो कौन देगा, कौन से मद में दिया जायेगा ?

अध्यक्ष : सरकार कोर्ट के आदेश के खिलाफ कैसे जायेगी ? बैठिये ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : सर, उसको 5 लाख, संरक्षण चाहिए इस पर, गरीब आदमी है, पीड़ित को तो मिलना चाहिए न ?

अध्यक्ष : बैठिये । श्री फते बहादुर सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0–2075 (श्री फते बहादुर सिंह, डेहरी)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलांतर्गत डिहरी प्रखंड के तेंदुआ दुसाधी दलित टोला में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, तेंदुआ दुसाधी भवनहीन एवं भूमिहीन है । मूलभूत सुविधाविहीन विद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, तेंदुआ दुसाधी को मध्य विद्यालय, तेंदुआ दुसाधी में सिफ्ट किया गया है ।

जिला कार्यालय के पत्रांक–747, दिनांक–03.03.2025 द्वारा अंचलाधिकारी, डिहरी से नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । भूमि प्राप्त होने पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कार्य नियमानुसार प्रारंभ कर दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री फते बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री फते बहादुर सिंह : जी, वही पूछ रहा हूं । जवाब आया है कि रोहतास जिलांतर्गत डिहरी प्रखंड के तेंदुआ दुसाधी दलित टोला में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, तेंदुआ दुसाधी भवनहीन एवं भूमिहीन है और भूमि प्राप्त होने पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कार्य नियमानुसार प्रारंभ कर दिया जाएगा...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री फते बहादुर सिंह : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कब तक भूमि प्राप्त कर सरकार उस दलित टोला में प्राथमिक विद्यालय बनवाने का विचार रखती है ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस दलित टोले में यह बात सही है कि भवनहीन है, जमीन की भी कमी है । इसलिए इसको हम लोगों ने प्राथमिकता सूची में रखा है कि इसको अगले दो महीने या तीन महीने के अंदर जमीन उपलब्ध करा लेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है उसको करते हुए अगले वित्तीय वर्ष में वहां स्कूल का निर्माण हम लोग निश्चित रूप से कर लेंगे और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो इस तरह की जमीन की कमी है जिन स्कूलों में या जमीन नहीं है उसकी अलग से हम लोगों ने सूची बना रखी है उसपर प्राथमिकता से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं । धन्यवाद महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–2076 (श्री मो0 इजहार असफी, कोचाधामन)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बहिकोल में कुल पदस्थापित शिक्षकों की संख्या–10 एवं कुल छात्र/छात्राओं की संख्या 354 है । कुल कमरों की संख्या–14 है जिसमें 6 कमरे जर्जर हैं । 8 कमरों में वर्ग कक्ष 1 से 8 तक की कक्षा संचालित किया जा रहा है ।

प्रश्नगत विद्यालय में जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव School Survey Saturation के तहत ई–शिक्षा कोष पोर्टल पर दिया जा चुका है तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त कमरों का मरम्मति कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मो0 इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब तो मिला है, मैं मंत्री जी से गुजारिश करता हूं और मांग करता हूं कि ये कमरे जर्जर हो गये हैं, पानी जितना बाहर पड़ना चाहिए उतना अंदर ही पड़ता है, बच्चों को बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मो0 इजहार असफी : मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उसको बरसात से पहले–पहले अगर करा दिया जाय तो मामला बहुत अच्छा हो जायेगा और बच्चे इत्मीनान से बैठेंगे ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : उन्होंने मांग की है, पूछा कहां है ? अच्छा बोल दीजिये, खड़े हो गये हैं तो बोल दीजिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्कूलों में जहां पर स्थिति वास्तव में जर्जर है उसको हम लोगों ने प्राथमिकता सूची में रखा है और हम कोशिश करेंगे कि जो माननीय सदस्य की चिंता है कि मानसून सत्र से पहले उसको हम लोग पूरा कर लें । धन्यवाद ।

श्री मो0 इजहार असफी : बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–2077 (मो0 नेहालउद्दीन, रफीगंज)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलांतर्गत प्रखंड रफीगंज नगर पंचायत के वार्ड न0–14 एवं 15 में कोई विद्यालय नहीं है लेकिन वार्ड नं0–14 एवं 15 के समीप वार्ड नं0–5 में उर्दू मध्य विद्यालय, इमादपुर स्थित है जिसमें कक्षा 01 से 08 तक वर्ग संचालित है एवं वार्ड 14 एवं 15 से लगभग 80 बच्चे पठन–पाठन के लिए आते हैं तथा वार्ड नं0–14 एवं 15 के पोषक क्षेत्र से दूरी 01 किलोमीटर से कम है ।

वार्ड नं0–14 के समीप पश्चिम उत्तर दिशा में प्राथमिक विद्यालय, तिवारी विगहा एवं पूर्व दिशा में मध्य विद्यालय, चरकावां महमुद है जिसकी दूसरी 01 किलोमीटर है ।

ग्राम चरकावां महमुद में पूर्व से ही मध्य विद्यालय, चरकावां महम्मुद अवस्थित है जिसमें 08 वर्गकक्ष, 02 शौचालय, नामांकित बच्चों की संख्या–309 एवं शिक्षकों की संख्या–10 है । इस विद्यालय में वर्ग कक्ष 1 से 8 तक कक्षा संचालित है । वार्ड–14 एवं 15 के पोषक क्षेत्र के बच्चे यहां पढ़ने आते हैं ।

अध्यक्ष : नेहाल साहब पूरक पूछिये ।

मो0 नेहालउद्दीन : महोदय, मेरा प्रश्न था कि वार्ड नं0–14 एवं 15 में कोई विद्यालय नहीं है, सरकार ने माना है कि वाकई में नहीं है मगर इनका यह कहना है कि 15 के समीप वार्ड नं0–5 में स्कूल है तो वार्ड नं0–5 और 15 की दूरी, हम वही तो कह रहे हैं कि नहीं है और काफी दूरी पर है और वहां पर जमीन उपलब्ध है तो क्या आप बनाना चाहते हैं ? दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि चरकावां में, वहां रेलवे लाईन क्रॉस करके जाना पड़ता है । इसका...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

मो0 नेहालउद्दीन : पूरक ही तो पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : एक पूछ लिया, दूसरा पूछिये ।

मो0 नेहालउद्दीन : जी नहीं, पहले उसका जवाब देंगे तब न पूछेंगे ।

अध्यक्ष : बैठियेगा तब न, खड़े रहियेगा तो कैसे जवाब होगा ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, जवाब तो हमने दे दिया है, चाहते हैं उसको पढ़ें तो पढ़ देते हैं ।

अध्यक्ष : पढ़ दीजिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलांतर्गत प्रखंड रफीगंज नगर पंचायत के वार्ड न0–14 एवं 15 में कोई विद्यालय नहीं है लेकिन वार्ड नं0–14 एवं 15 के समीप वार्ड नं0–5 में उर्दू मध्य विद्यालय, इमादपुर स्थित है जिसमें कक्षा 01 से 08 तक वर्ग संचालित है एवं वार्ड 14 एवं 15 से लगभग 80 बच्चे पठन–पाठन के लिए आते हैं तथा वार्ड नं0–14 एवं 15 के पोषक क्षेत्र से दूरी 01 किलोमीटर से कम है ।

वार्ड नं0–14 के समीप पश्चिम उत्तर दिशा में प्राथमिक विद्यालय, तिवारी विगहा एवं पूर्व दिशा में मध्य विद्यालय, चरकावां महम्मुद है जिसकी दूसरी 01 किलोमीटर है ।

ग्राम चरकावां महम्मुद में पूर्व से ही मध्य विद्यालय, चरकावां महम्मुद अवस्थित है जिसमें 08 वर्गकक्ष, 02 शौचालय, नामांकित बच्चों की संख्या–309 एवं शिक्षकों की संख्या–10 है । इस विद्यालय में वर्ग कक्ष 1 से 8 तक कक्षा संचालित है । वार्ड–14 एवं 15 के पोषक क्षेत्र के बच्चे यहां पढ़ने आते हैं । अगर और कोई आपकी मांग हो तो बतायें ।

मो0 नेहालउद्दीन : महोदय, मैंने तो यही कहा कि आपका जवाब मैंने पढ़ा, आपने माना है कि 14 या 15 में स्कूल नहीं है तो 14 या 15 वार्ड नंबर में स्कूल बनाने में आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है ? क्या वहां बनवाना चाहते हैं ? क्योंकि वहां पर स्कूल है नहीं, आपने माना है तो महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से सीधा मेरा सवाल है कि 14 या 15 में आपको बनाने में कोई परेशानी है क्या ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी बात रखी है उसकी हम पुनः समीक्षा कर लेंगे । वैसे जो रिपोर्ट आयी है तो उसमें जमीनी हकीकत का जिक्र किया गया है लेकिन आपकी चिंता है तो उसका हम पुनः आकलन कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन उसकी पुनः समीक्षा जरूरी है । यह सत्र खत्म होगा उसके बाद उसकी पुनः समीक्षा कर लेंगे ।

मो0 नेहालउद्दीन : मेरा आग्रह है कि उसको बनवा दें ।

अध्यक्ष : हो गया । आपकी बात पर सकारात्मक जवाब है ।

तारांकित प्रश्न सं0–2078 (श्री राणा रणधीर, मधुबन)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड के सुन्दरपट्टी पंचायत के कोरल ग्राम में स्थित मध्य विद्यालय, कोरल में छात्र/छात्रा की संख्या कुल 372, शिक्षक/शिक्षकों की संख्या कुल 10 एवं वर्ग कक्ष की संख्या कुल 4 है जिनमें से 3 में पठन–पाठन का कार्य संचालित हो रहा है तथा एक वर्ग कक्ष जर्जर है ।

उक्त विद्यालय में दो शौचालय उपलब्ध है जिसमें एक क्रियाशील तथा दूसरे में लघु मरम्मति की आवश्यकता है ।

उक्त विद्यालय के लिए जर्जर भवन के स्थान पर दो अतिरिक्त वर्ग कक्षा निर्माण एवं शौचालय लघु मरम्मति का कार्य का प्रस्ताव बिहार सरकार के पोर्टल ई–शिक्षाकोष (BSEIDC) पर प्रविष्टि कर दिया गया है ।

उक्त निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025–26 में करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, जवाब आया है । मंत्री जी से आग्रह है कि इस विद्यालय में 400 बच्चे हैं और विद्यालय भवन इन्होंने माना है कि कम है और बनाने की बात भी कही है, भवन और शौचालय दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं, सुंदरपट्टी का जो कोरल गांव है अति पिछड़ों का गांव है । मानसून सीजन से पहले बना देंगे केवल यह पूछता हूं कि बना दें । यही कहता हूं ।

अध्यक्ष : इन्होंने कहा है कि 2025–26 में करा लिया जायेगा ।

श्री राणा रणधीर : मानसून सीजन के पहले हो जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है हम इसको प्रायोरिटी पर रख लेंगे ताकि कोशिश करेंगे कि पहले हो जाय ।

श्री राणा रणधीर : आपको बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0–2079 (श्री विनय कुमार, गुरूआ)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलांतर्गत गुरारू प्रखंड के पहरा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, तांती, मध्य विद्यालय, पहरा (प्राथमिक विद्यालय, पहरा नाम से कोई विद्यालय अवस्थित नहीं है), प्राथमिक विद्यालय स्वामी बिगहा एवं मध्य विद्यालय, गिरधारा में चहारदीवारी नहीं है ।

द्वितीय चरण के योजना चयन समिति की बैठक में उपर्युक्त चारों विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु चयन कर लिया गया है । वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है, हमने पढ़ा है । हम चाहते हैं कि मंत्री जी ही उत्तर जरा पढ़ें, थोड़ा सा उत्तर में हमको यह समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने बोला कि उस नाम का विद्यालय भी नहीं है, थोड़ा सा मंत्री जी उसको पढ़ दें महोदय ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, उत्तर तो आ गया । उसमें संबंधित जो फैक्ट है उसको मैं जो दूसरा पैरा है, द्वितीय चरण के योजना चयन समिति की बैठक में उपर्युक्त चारों विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु चयन कर लिया गया है । वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा तो आपकी जो चिंता है उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है और उसको अपने पोर्टल में भी इंक्लूड कर लिया है और अगले वित्तीय वर्ष में, राशि भी है हम उसको पूरा करा लेंगे ।

श्री विनय कुमार : महोदय, वह नहीं था । मुझे कहना था कि इन्होंने ऊपर में लिखा है वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलांतर्गत गुरारू प्रखंड के पहरा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, तांती, मध्य विद्यालय, पहरा (प्राथमिक विद्यालय, पहरा नाम से कोई विद्यालय अवस्थित नहीं है), प्राथमिक विद्यालय स्वामी बिगहा एवं मध्य विद्यालय, गिरधारा में चहारदीवारी नहीं है । द्वितीय चरण में ये बोल रहे हैं कि हमने चारों का चयन भी कर लिया है । एक तरफ बोल रहे हैं कि वहां विद्यालय भी नहीं है, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि हम चारों चयन कर लिये हैं । इसलिए हम चाह रहे थे कि थोड़ा पढ़ कर सुना देते तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने चारों चयन कर लिया है लेकिन आप ही के इस उत्तर में एक तरफ लिखते हैं कि विद्यालय भी नहीं है, दूसरी तरफ लिखते हैं कि हम उसका चयन भी कर लिये हैं ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वह प्राथमिक और मध्य का कंफ्यूजन है उसको हम दिखवा लेंगे लेकिन वह अवस्थित है ताकि प्राथमिक और मध्य को लेकर उसमें कंफ्यूजन है।

श्री विनय कुमार : धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : प्राथमिक और मध्य के कारण कंफ्यूजन है, आपका हो जायेगा सब तो आपको क्या दिक्कत हो रही है...

श्री विनय कुमार : महोदय, लेकिन...

अध्यक्ष : आपके क्षेत्र को लाभ मिल रहा है ।

श्री विनय कुमार : महोदय, जिन्होंने उत्तर बनाया...

श्री सुनील कुमार, मंत्री : नहीं, ठीक है उत्तर बनाया तो हमने कहा ही है कि जो उत्तर बताये उसमें कंफ्यूजन है लेकिन आपकी जो मूल समस्या है उसका हम समाधान कर देंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ...

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बैठ जाइये आप । हो गया ।

अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021–22 के प्रतिवेदन ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा–सिविल'' एवं 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड–1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूं ।

.....क्रमशः....

टर्न–7 / मुकुल / 25.03.2025

क्रमशः

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021–22 के प्रतिवेदन 'निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा–सिविल' एवं 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के प्रतिवेदन 'वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)' तथा 'विनियोग लेखे' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021–22 के प्रतिवेदन 'निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा–सिविल' एवं 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के प्रतिवेदन 'वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)' तथा 'विनियोग लेखे' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लेकिन भाई वीरेन्द्र जी, अपने लोगों को सिखाइये कि कब 'हां' बोलना है और कब 'न' बोलना है ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेंद्र जी को ये लोग काम नहीं देना चाहते हैं, ये काम तो भाई वीरेंद्र जी समिति के सभापति हैं तो काम तो इन्हीं को दिया गया है ।

अध्यक्ष : वीरेंद्र जी, आप लोक लेखा समिति के चेयरमैन हैं और आप ही के मेम्बर कह रहे हैं 'न' । मैं क्या करूं अब बताइये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से आपने पास कर दिया, बहुमत के आधार पर पास कर दिया तो इसमें बहस कहां है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें बहस है, आप ही समिति के चेयरमैन हैं और आप ही के मेम्बर कह रहे हैं 'न' ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इनको जानकारी का अभाव है।

अध्यक्ष : ठीक है । मैंने मान लिया ।

अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–25.03.2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स०वि०स०, श्री अजय कुमार, स०वि०स०, श्रीमती अनिता देवी, स०वि०स०, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स०, श्रीमती मंजू अग्रवाल, स०वि०स०, श्री महानंद सिंह, स०वि०स०, श्री महबूब आलम, स०वि०स०, श्री ऋषि कुमार, स०वि०स०, श्री मुहम्मद इजहार असफी, स०वि०स०, श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०, श्री रणविजय साहू, स०वि०स०, श्री सत्यदेव राम, स०वि०स०, श्री छोटे लाल राय, स०वि०स०, श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स०, श्री अजीत कुमार सिंह, स०वि०स०, श्रीमती रेखा देवी, स०वि०स०, श्री शमीम अहमद, स०वि०स०, श्री राजवंशी महतो, स०वि०स०, श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स०, श्री विजय कुमार, स०वि०स०, श्री निरंजन राय, स०वि०स०, एवं श्री विनय कुमार, स०वि०स० ।

आज दिनांक– 25.03.2025 को सदन में राजकीय विधेयक एवं राजकीय संकल्प निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण विषय है ।

अध्यक्ष : आज बिल है इसलिए उसको अमान्य किया ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, उससे ज्यादा अतिमहत्वपूर्ण है, बिहार में आरक्षण को खत्म किया गया, जिस आरक्षण को इस विधान सभा ने बढ़ाया था।

अध्यक्ष : मैंने शून्यकाल कह दिया, अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

कोई बोल ही नहीं रहा है कि पढ़ने दिया जाय । कोई एक आदमी बोलिए इतने लोग खड़े हैं इसलिए कोई बात नहीं सुनी जायेगी । एक आदमी बोलिए । शाहीन जी, आप क्या कह रहे हैं ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, इसको पढ़ने दिया जाय ।

अध्यक्ष : आपको यह बोलना न चाहिए कि पढ़ने दिया जाय, तो बोलते ही नहीं हैं और कुछ–कुछ बोलते रहते हैं ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष होदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एंव कार्य संचालन नियमावली के नियम 98 के तहत निम्न लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना देता हूँ । बिहार में महागठबंधन की सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना का कार्य कराया गया था । जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आलोक में विभिन्न जातियों की जनसंख्या एवं उसकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्ष 2023 में विधेयक पारित कर आरक्षण की सीमा 65 प्रतिशत किया गया था इसमें आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों का दिये गये 10 प्रतिशत आरक्षण के फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरी एवं संस्थानों में नामांकन के लिए कुल 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था । महागठबंधन की सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का लाभ समाज के पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित एवं दबे–कुचले कमजोर वर्गों के साथ–साथ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी मिल रहा था । महागठबंधन की सरकार द्वारा बिहार विधान सभा में 09 नवम्बर, 2023 को इसके लिए विधेयक लाया गया था तथा दोनों सदनों से पारित कराकर इसे कानून का रूप दे दिया गया था । लेकिन इस कानून को भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किये जाने के कारण रद्द कर दिया गया है जबकि तामिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण पिछले 35 सालों से लोगों को मिल रहा है । तमिलनाडु की सरकार द्वारा विधान सभा से पारित प्रस्ताव के आलोक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल दिया था, जिसके कारण वहां आज भी बढ़ा हुआ आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है । बिहार में पुनः नये आरक्षण विधेयक पारित करा कम से कम कुल 85 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना राज्यहित में आवश्यक है । अतः दिनांक–25.03.2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर बिहार

में इस आरक्षण कानून को पारित कराके नौवीं अनुसूची में शामिल करने जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श किया जाय ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्रीमती विभा देवी ।

(व्यवधान)

श्रीमती विभा देवी, आप अपना शून्यकाल पढ़िए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सारे माननीय सदस्यगण वेल में आ गये ।)

शून्यकाल

श्रीमती विभा देवी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के प्रखंड नारदीगंज में नारदीगंज कॉलेज से ग्राम–पड़रड़िया तक बरगैनिया पैन एवं ननौरा तिलकचक पइन बहुत जर्जर स्थिति में है। लाखों किसान कष्ट में है । अतः जनहित में उपरोक्त दोनों पइनों का जीर्णोद्धार एवं सफाई करने की मांग करती हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पोस्टर हटाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम स्पष्टीकरण के बिंदु पर खड़े हैं । महोदय, ये सारा बिहार जानता है कि आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा का फैसला और जातीय आधारित गणना कराने का फैसला यह नीतीश कुमार के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की हुकूमत में लिया गया था, एन0डी0ए0 की सरकार में यह फैसला हुआ था और अंतिम परिणति भी जब हुई थी तो एन0डी0ए0 की सरकार का ही नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे, अब ये बीच में कुछ दिन आये थे और आज नौवीं अनुसूची की बात कह रहे हैं । महोदय, ये पूरे बिहार की जनता को सब्जबाग दिखा रहे हैं, हरा टी–शर्ट पहनकर तो सब्जबाग ही दिखाया जा सकता है क्योंकि आज सब जानते हैं कि यह कानून उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जब कानून ही नहीं है तो नौवीं अनुसूची में किसको डाला जायेगा, कोई कानून रहता है तो कानून को ही नौवीं अनुसूची में डाला जाता है और आज वह कानून ही अस्तित्व में नहीं है तो उसको नौवीं अनुसूची में कैसे डाला जायेगा और उच्च न्यायालय ने जो निरस्त किया उसके खिलाफ तत्काल बिहार सरकार उच्चतम न्यायालय गयी है और हम उम्मीद करते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो बिहार सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी उसके पक्ष में फैसला देगी, हम इसके इंतजार में हैं, उच्चतम न्यायालय फैसला ले फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, चूंकि जाति आधारित गणना कराने का फैसला

...क्रमशः...

टर्न–8 / यानपति / 25.03.2025

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, या उस गणना के परिणाम आने के बाद आरक्षण सीमा बढ़ाये जाने का फैसला, यह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है, यह पूरा बिहार जानता है । ये अनावश्यक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर बैठिए । माननीय सदस्या, श्रीमती अनीता देवी । बोलिए ।

श्रीमती अनीता देवी : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के दिघवार नगर पंचायत के खादी भंडार के सामने के लोगों एवं सी0आर0पी0एफ0 राधा कृष्णा के परिवार के सभी महिलाओं को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया है । बेहद निंदनीय कृत्य है।

उक्त घटना की जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग करती हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : हो गया, बैठ जाइये । माननीय सदस्या, श्रीमती मंजू अग्रवाल ।

श्रीमती मंजू अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत नगर परिषद् शेरघाटी के नेशनल हाईवे संख्या–2 से महिला महाविद्यालय होते हुए इंदिरानगर तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है जिससे राहगीरों को काफी परेशानी होती है ।

अतः एन0एच0–2 इंदिरानगर तक रोड एवं नाला का निर्माण करवाने की मांग करती हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वेल में कही गई कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी । आपलोगों ने कहा कि पढ़वा दीजिए, हमने पढ़वा दिया, यह रवैया रहेगा तो आगे से पढ़वाना भी बंद करेंगे । अपने स्थान पर जाकर बैठिए । गलत तरीका है यह । माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार सिंह ।

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर बैठिए ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में खरवार अनुसूचित जनजाति का अंग है । जातीय जनगणना में इनका पुकारू नाम ही अंकित कर दिया गया है। खरवार का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र नहीं बनता है । खरवार जाति का जाति प्रमाण–पत्र बनाने की मांग करता हूं ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार की अनुशंसा के आलोक में पुलवामा में शहीद आश्रितों को दी गयी सरकारी नौकरी के आधार पर ''ऑपरेशन मेघदूत'' सियाचिन ग्लेशियर में

32 जवान सहित भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड के लकड़ाकोल निवासी शहीद सूबेदार रामजी यादव के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वहां कैमरा लगाइये । फते बहादुर सिंह जी, आप हटिए वहां से । माननीय सदस्य, श्री अरूण कुमार सिंह ।

(व्यवधान जारी)

श्री अरूण कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बरूराज विधान सभा में मोतीपुर, हरदी, कथैया, कुआही, श्रीसिया, नरियार उच्च विद्यालयों में पुराने भवन होने के कारण भवन की स्थिति काफी जर्जर हो गई है, जिससे पठन–पाठन के कार्य में काफी समस्या होती है ।

अतः मैं सरकार से इन सभी विद्यालयों में भवन और चहारदीवारी की मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाइये । गलत तरीका है यह । अपने स्थान पर जाइये, मैं बार–बार आग्रह कर रहा हूं नहीं तो मुझे कोई और निर्णय लेना पड़ेगा । यह तरीका ठीक नहीं है ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–9 / अंजली / 25.03.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

''बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

डॉ॰ सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

डॉ॰ सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

डॉ॰ सुनील कुमार, मत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय...

अध्यक्ष : बैठिये । कहां खड़ा हो गए ?

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(व्यवधान)

कर लेता हूं, कभी भविष्य याद करेगा ।

अध्यक्ष : इधर देखकर बोलिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि इस विधेयक के उद्देश्य एवं हेतु में इसके लाये जाये जाने का कारण लिखा गया है । उस कारण में रिट याचिका (सिविल) संख्या–202/1995 टी0एन0 गोदावरमन थिरूमल बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का हवाला दिया गया है । जब यह केस 1995 में हुआ और उसके आलोक में बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 को संशोधित कर दिया गया तो उसी में यह सब प्रावधान क्यों नहीं किया गया, जो नया अधिनियम, 1995 का हवाला देकर 2025 में लाने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ? माननीय सदस्य, मूव नहीं करेंगे ?

(व्यवधान)

आप नहीं । माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन जी ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : जी महोदय, मूव करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 दिनांक–30 जून, 2025 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 में दो संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी मूव करूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–3 के उपखंड (6) के शब्द ''तीन'' के स्थान पर शब्द ''एक'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया कि अधिकतम सीमा 3 माह की बैठक के लिए निर्धारित की गई है, वह बैठक प्रत्येक माह सुनिश्चित हो और विचारणीय बिंदुओं पर प्रत्येक माह सम्यक निर्णय लिया जा सके ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–3 के उपखंड (6) के शब्द ''तीन'' के स्थान पर शब्द ''एक'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–5 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–6, 7 एवं 8 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–6, 7 एवं 8 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–6, 7 एवं 8 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड–9 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–9 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–9 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–10 में दो संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–10 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–10 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–11 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, जी मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के अंत में एक निम्न परन्तुक जोड़ा जाय–

''परन्तु यह कि हस्तांतरण केवल वैधानिक उत्तराधिकारी को ही हो सकेगा ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है ताकि अधिकारी मनमर्जी से ही किसी को हस्तांतरण न करे बल्कि जिन्हें कानून सम्मत ढंग से उत्तराधिकारी घोषित किया गया है उन्हें ही हस्तांतरण करना होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के अंत में एक निम्न परन्तुक जोड़ा जाय–

''परन्तु यह कि हस्तांतरण केवल वैधानिक उत्तराधिकारी को ही हो सकेगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–11 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–11 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–12 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–12 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–12 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–13 में दो संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–13 के उपखंड (1) की चौथी पंक्ति के शब्द ''निमित्त'' एवं शब्द ''प्राधिकृत'' के बीच शब्द समूह ''लिखित रूप से'' अंतःस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति मनमर्जी से कहीं भी प्रवेश कर जाय । अनुज्ञापन पदाधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त करने के बाद ही जांच हेतु जाय, इसे मान लिया जाना चाहिए अन्यथा कोई भी वनपाल भयादोहन के उद्देश्य से जांच हेतु पहुंच जाएगा । उसे लिखित प्राधिकार पत्र रहेगा और उसे परिसर के स्वामी को दिखाकर वह जांच कर सके यही मेरा उद्देश्य है ।

टर्न–10/पुलकित/25.03.2025

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–13 के उपखंड (1) की चौथी पंक्ति के शब्द ''निमित्त'' एवं शब्द ''प्राधिकृत'' के बीच शब्द समूह ''लिखित रूप से'' अंतःस्थापित किया जाय ।''

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहे, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें । समीर महासेठ जी, आप भी 'हां' नहीं बोलते हैं । आप संशोधन देते हैं तब भी इस प्रस्ताव के 'हां' नहीं बोलते हैं ।

(व्यवधान)

आपको देखकर करते होंगे । बैठ जाइये, सत्यदेव जी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–13 के उपखंड (1) की चौथी पंक्ति के शब्द ''निमित्त'' एवं शब्द ''प्राधिकृत'' के बीच शब्द समूह ''लिखित रूप से'' अंतःस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–13 के उपखंड (1) के अंत में एक नया मद (ड़) निम्न रूप में जोड़ा जाय–

''(ड़) उपर्युक्त सारी कार्रवाई कम से कम दो गवाहों के समक्ष की जायेगी तथा पूरी कार्रवाई की विडियोग्राफी करा कर एक प्रति साक्ष्य के लिए रखी जायेगी तथा एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को दी जायेगी ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है ताकि पारदर्शिता का पालन हो और कोई भी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होती है तो उस पर कोई ऊंगली नहीं उठा सकता है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–13 के उपखंड (1) के अंत में एक नया मद (ड़) निम्न रूप में जोड़ा जाय–

''(ड़) उपर्युक्त सारी कार्रवाई कम से कम दो गवाहों के समक्ष की जायेगी तथा पूरी कार्रवाई की विडियोग्राफी करा कर एक प्रति साक्ष्य के लिए रखी जायेगी तथा एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को दी जायेगी ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–13 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–13 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–14, 15 एवं 16 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–14, 15 एवं 16 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–14, 15 एवं 16 इस विधेयक का अंगे बने ।

खंड–17 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–17 के उपखंड (4) के परन्तुक के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय–

''व्यक्ति को सुनने की कार्रवाई 30 दिनों के अंदर पूरी की जायेगी ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि यदि समय–सीमा निर्धारित नहीं होती है तो यह प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, अनुज्ञप्तिधारी दौड़ता रहेगा । इसलिए समय–सीमा का निर्धारण आवश्यक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–17 के उपखंड (4) के परन्तुक के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय–

''व्यक्ति को सुनने की कार्रवाई 30 दिनों के अंदर पूरी की जायेगी ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

समीर कुमार जी, आप संशोधन भी देते हैं और 'हां' भी नहीं बोलते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–17 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–17 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड–29 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–29 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–29 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एवं 37 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एवं 37 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एवं 37 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आप स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलिये ।

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, रिट याचिका (सिविल) संख्या–202/1995 टी0एन0 गोदावरमन थिरूमल बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के तहत, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के आरा मिलों सहित विभिन्न काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विनियमन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये हैं । चूँकि, वर्तमान बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 केवल आरा मिलों से संबंधित है, इसलिए वर्तमान अधिनियम, 1990 को निरसित कर एक नया अधिनियम बनाने की आवश्यकता है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण के संरक्षण एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ''बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 तैयार किया गया है, जिससे काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विनियमन (जिसमें काष्ठ की उपलब्धता का आकलन एवं स्थायी आधार पर नई मशीनों की स्थापना भी शामिल है) तथा ऐसे उद्योगों की संख्या निर्धारित करने तथा ऐसे उद्योगों से प्राप्त शुल्क एवं उदग्रहण की राशि का वनरोपण कार्यों में उपयोग करने का प्रावधान किया जा सके ।

इसलिए अब उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है । यही इस विधेयक का उद्देश्य है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ ।

बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

टर्न–11/अभिनीत/25.03.2025

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, संशोधन प्रस्ताव मूव करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 दिनांक–30 जून, 2025 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, इस संशोधन में जुड़े परिवारों का क्षमतावर्द्धन, स्वरोजगार, महिलाओं के संगठनात्मक प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता के संबंध में उल्लेख है । महोदय, हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी यही मांग लगातार कर रहे हैं कि आर्थिक न्याय महिलाओं के साथ किया जाय लेकिन बीस वर्षों के बाद सरकार की नींद खुली है । यह महागठबंधन के भारी दबाव का असर है । महोदय, यह संशोधन

विधेयक काफी जनोपयोगी है । हमारे नेता ने तो पूर्व में ही महिलाओं को आर्थिक न्याय के लिए 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा भी किया है । महोदय, संशोधन व्यापक है ।

अतः सदन से जनमत जानने के प्रस्ताव को पारित करें । सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह होगा कि संशोधन पारित करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 दिनांक–30 जून, 2025 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–1 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मूव करेंगे सर । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–1 के उप खंड (3) में शब्द 'होगी' के स्थान पर शब्द 'होगा' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि अधिनियम पुल्लिंग है परंतु इसके बारे में उप खंड (3) में लिखा गया है कि यह राजपत्र में प्रकाशन की

तिथि से प्रवृत्त होगी । भाषाई त्रुटि रहने से इस सदन की छवि अच्छी नहीं होगी इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है । इसे मानने में सरकार को कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए और आज यदि सरकार इस संशोधन को नहीं मानती है तो फिर उसे ठीक भी नहीं कर पायेगी, इसलिए सरकार इस संशोधन को स्वीकार करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–1 के उप खंड (3) में शब्द 'होगी' के स्थान पर शब्द 'होगा' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

''बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

महोदय, हम बताना चाहते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जदयू की एनडीए सरकार बनी 2005 में तो बिहार अपराधमुक्त बना । बिहार आगे बढ़ने लगा और हमारे नेता नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार पहला राज्य है जहां पंचायती राज चुनाव में हमने 50 परसेंट आरक्षण देकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया । ये महिलाओं की बात करते हैं ? हम याद कराते हैं कि आरजेडी के लोगों को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, इनको हम बेनकाब करना चाहते हैं । अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल जी चाहते थे कि केंद्र में, पार्लियामेंट में, विधान सभा में महिलाओं को आरक्षण हो । महोदय, पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया, यही आरजेडी के लोग, सांसदों ने बिल को फाड़ने का काम किया । महिलाओं के प्रति घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा । दुनिया ने देखा है कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में आपने बिल को फाड़ने का काम किया था । महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में शिक्षा के क्षेत्र में एक से आठ तक 50 परसेंट आरक्षण महिलाओं को हमने दिया है, 8 से 12 तक 35 परसेंट और 30 हजार महिलाओं को पुलिस विभाग में सभी पदों पर देकर महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है । देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आयी तो हमारी सरकार ने, अटल जी चाहते थे कि वह विधेयक पास हो लेकिन विपक्ष के असहयोग के कारण पास नहीं हुआ । हम समय का इंतजार कर रहे थे, समय बदला 2014 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और हमलोगों ने नारी अधिनियम के तहत 35 फीसदी लोक सभा में और देश की विधान सभाओं में आरक्षण का प्रावधान करने का काम किया । महोदय, हम कहना चाहते है कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन नीति, जीविका एक ऐसी पहल है, बिहार की आधी आबादी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका की योजना, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास द्वारा कार्यरत एक समिति है । इसका पंजीकरण सोसाइटी एसोसिएशन एक्ट, 1860 के तहत बिहार रूरल लाइबलीहुड्स प्रमोशन सेसाइटी यानी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के नाम से हुआ है । इस संस्था का उद्देश्य है राज्य में रहने वाले गरीब, गरीबों के सामुदायिक संगठनों को, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल संघ जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था..

..क्रमशः..

टर्न–12 / हेमन्त / 25.03.2025

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : (क्रमशः) : पंडित दीन दयाल उपाध्याय का सपना था समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाकर आगे बढ़ाना । महोदय, उस काम को हमारे नेता नीतीश कुमार कर रहे हैं । बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने हेतु सभी स्तर के सामुदायिक संगठनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गयी है । इसका उद्देश्य सामुदायिक संगठनों से जुड़े परिवारों का क्षमतावर्द्धन कर उनके स्वरोजगार के आयामों को सुदृढ़ करना है । सामुदायिक

संगठनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमों को निरंतर क्रियान्वित किया जाता है तथा कृषि, बिहार की बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि की है । महोदय, राज्य की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ कृषि है । कृषि, पशुपालन, गैर कृषि कार्य से जुड़े परिवारों की आमदनी कैसे बढ़ायी जा सके । यह वर्णित करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में 10 लाख 63 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को रोजगार दिलाने का हमने काम किया है । साथ ही, महिलाओं द्वारा लगभग 71298 ग्राम संगठनों एवं 1671 संकुल संघों का गठन कर जीविकोपार्जन से संबंधित आयाम पर काम किया जाता है । महोदय, दीर्घकालीन रणनीति को क्रियान्वित करते हुए जीविका के द्वारा सामुदायिक संगठनों को सशक्त किया जाता है ताकि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी पूंजी का सदुपयोग करते हुए स्वरोजगार के आयामों का विस्तार किया जा सके। सामुदायिक संगठनों को बैंकों के माध्यम से भी पूंजी उपलब्ध करायी जाती है ताकि इससे जुड़े सदस्य विभिन्न स्वरोजगार की गतिविधियों को शुरू कर सकें । जीविका के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समूहों के साथ कार्य किया जाता है एवं उन्हें सशक्त करने की दिशा में सशक्त, क्षमतावर्द्धन, सुगमतापूर्वक, पूंजी उपलब्धता, तकनीकी सहयोग, विपणन की व्यवस्था आदि किये जाते हैं ताकि सदस्यों के जीवनस्तर को बेहतर किया जा सके । महोदय, सामुदायिक संगठनों के माध्यम से किये गये कार्य को विस्तारित करने हेतु राज्य स्तर पर एक विशिष्ट वित्तीय संस्थान के गठन पर विचार किया जा रहा है । महोदय, इसका मकसद एक ऐसी वित्तीय संरचना का निर्माण करना है, जो गरीब महिलाओं एवं उनसे जुड़े परिवारों को ससमय पूंजी उपलब्ध करा सके । इस प्रस्तावित विशिष्ट वित्तीय संस्थान को आगे बढ़ाने हेतु संकुल संघों का योगदान होगा। महोदय, यह विशिष्ट वित्तीय संस्थान महिलाओं के संरचनात्मक, प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता सहित सभी स्तर पर प्रतीकात्मक स्वरूप होगा । महोदय, इसका उद्देश्य है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा गठित एवं संपोषित बिहार स्वावलंबी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1996 के अधीन गठित समितियों को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत गठित सम्बद्धक समिति का सदस्य बनाये जाने हेतु वर्तमान में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में प्रावधान नहीं है । अतः अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

महोदय, उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सामुदायिक संगठनों से जुड़े परिवारों का क्षमतावर्द्धन कर उनके स्वरोजगार के आयामों को सुदृढ़ किया जायेगा एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थान महिलाओं के संगठनात्मक प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता का प्रतीकात्मक स्वरूप होगा ।

इसलिए अब उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है यही इस विधेयक का उद्देश्य है । महोदय, इसे स्वीकृत किया जाये ।

(व्यवधान)

महोदय, यह आरक्षण की बात करते हैं । महोदय, सरकार में रहने का मौका मिला था। महोदय, यह आरक्षण की बात करते हैं । महोदय, हम सरकार में जब–जब आये हैं, आपको याद कराना चाहते हैं । इसी देश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बर्हिगमन कर गये)

हम जब जेल से निकलकर आये थे, इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था । महोदय, जेल से आने के बाद देश में मोररजी भाई की अगुवाई में हमारी सरकार बनी थी, अटल जी विदेश मंत्री हुआ करते थे, लालकृष्ण आडवाणी जी सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री हुआ करते थे और आज बिहार में जननायक कर्पूरी जी के नेतृत्व में और कैलाशपति मिश्रा उस समय हमारे नेता थे, जो वित्तमंत्री हुआ करते थे और हमारे जनसंघ के सहयोग से जनता पार्टी की सरकार आयी और महोदय, बिहार पहला राज्य था जहां की कार्यपालिका में पिछड़ों, अतिपिछड़ों को आरक्षण देकर पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया था । महोदय, जब समता पार्टी बनी थी नीतीश कुमार उसके साथ जरूर थे और आपको याद होगा लालू प्रसाद का प्रस्ताव था अतिपिछड़ों को आरक्षण नहीं मिले । इसी के खिलाफ बगावत करते हुए नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी का गठन किया था और आज वह समता पार्टी जनता दल (यू) का बड़ा स्वरूप ले चुकी है। महोदय, आज नीतीश कुमार की अगुवाई में समाज के हर वर्गों के न्याय के साथ विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ रहा है । वहीं भारत के माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं । आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है और दोनों सरकार का उद्देश्य है कि बिहार का स्वर्णिमकाल लेकर आये । बिहार आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत को हम सब मिलकर साकार करने वाले हैं । बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, सपनों का बिहार बनाने में सब लगे हुए हैं । हम समाज के हर वर्गों की चिंता करते हैं । महोदय, 2003 में हम याद कराना चाहते हैं, इस सदन में सन् 2003 में एक बिल आया था । उस समय केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे । महोदय, 74वां संविधान संशोधन था । सभी राज्यों को कहा गया कि सभी राज्य अपने राज्यों में मॉडल कानून पंचायतों बनायें । महोदय, वह बिल आया था । उस समय हमारे नेता सुशील मोदी हुआ करते थे ।

महोदय, हमने उस समय मेंडेट दिया था कि जिस तरह कर्पूरी जी की सरकार में और हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया था, पंचायती राज में और बहुमत में हम थे नहीं, वोटिंग यहां पर हुई । वोट में हमारी हार जरूर हुई । हम न्यायालय में गये, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक पिछड़ गये हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए । लालू जी सुप्रीम कोर्ट चले गये थे । हम समय का इंतजार देख रहे थे । समय बदला और बिहार में एनडीए की सरकार आयी । महोदय, बिहार को जंगलराज से मुक्ति मिली और तब 2006 में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेकर जनता से जो वायदे किये थे, बिहार पहला राज्य बना जहां 50 फीसदी महिलाओं को और महोदय, बिहार पहला राज्य बना 20 प्रतिशत अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण ही नहीं दिया, उनको सम्मान देने का भी काम किया । ये क्या बात कर रहे हैं ? मौका मिला है, अतिपिछड़ों के वोट को लेने वाले लालू प्रसाद का जो परिवार है, अब जनता जान गयी है, वह झांसे में आने वाली नहीं है । बिहार की जनता नीतीश कुमार, नरेन्द्र मोदी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, बिजेन्द्र यादव, प्रेम कुमार के साथ खड़ी है । महोदय, आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर जनता ने ट्रेलर दिखा दिया है । चार बाइ इलेक्शन हुए, चार बाइ–इलेक्शन में तरारी, रामगढ़, बेला, महोदय, देखा आपने कि लालटेन बुझ गया बिहार में । जनता ने सिग्नल दे दिया है और आने वाले 2025 के चुनाव में हम चुनौती देते हैं, हमें जनता पर भरोसा है, मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है 225 के पार, एनडीए बिहार में आयेगी, फिर से सरकार हमारी बनेगी, बिहार आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर बिहार आत्मनिर्भर बिहार बनेगा । धन्यवाद ।

महोदय, आग्रह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ ।

राजकीय संकल्प

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सभा संकल्प लेती है कि संसद द्वारा यथा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का

5वां) ठीक उसी रूप में बिहार राज्य में भी लागू करने के निमित्त अंगीकार किया जाए । जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से सम्पूर्ण बिहार में लागू हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सभा संकल्प लेती है कि संसद द्वारा यथा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का 5वां) ठीक उसी रूप में बिहार राज्य में भी लागू करने के निमित्त अंगीकार किया जाए । जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से सम्पूर्ण बिहार में लागू हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या– 47 हैं । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।